o/c

कार्यालय– प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग

Email - gpchopta123@yahoo.com Mob- 9997709333

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांकः– 93 /भूमि ह0/2022–23 दिनांकः 13 जून, 2022

विषयः– राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव विषयक। प्रस्ताव संख्या– **(FP/UK/OTHERS/44711/2020)**

सन्दर्भः– (1) कार्यालय पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं0 8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ 0सी0/1373 दिनांक 07/01/2022
(2) आपके कार्यालय के पत्र संख्या 4093/12–1 (2), दिनांक 22 अप्रैल 2022 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संस्था के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में हस्तांतरित होने वाली वन भूमि के एवज् में कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं0 8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ 0सी0/1373 दिनांक 07/01/2022 द्वारा प्रेषित पत्र में संस्था के नवसर्जित रा0पा0चोपता के भूमि प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/OTHERS/44711/2020) में कुछ कमियां/आपत्तियां दर्शायी गयी है, जिनका निराकरण संस्था द्वारा कर दिया गया एवं निराकरण की हार्ड प्रति आपके कार्यालय मे दिनांक 11 अप्रैल 2022 को जमा करवायी गयी जिसके अवलोकन के पश्चात आपके पत्रांक 4093/12–1(2) दिनांक 22 अप्रैल 2022 के सन्दर्भ में प्रस्ताव में 12 कमियां/आपत्तियां दर्शायी गयी जिनका निराकण संस्था (प्रयोक्ता एजेन्सी) द्वारा कर दिया गया है ।

अतः वन भूमि हस्तान्तरण के ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र आपकी सेवा में सादर प्रेषित।

यू.पी.
13/6/2022

क्र स0	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
1.	It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State govt. is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.	The proposal is submitted in view of the guideline para 1.15.
2.	On perusal of the KML file of the proposed area, there appears to be sufficient non-forest land in the vicinity so a compelling justification for locating the college in forest patch is not clearly given. further, it seems that the polygons in the KML file are drawn very casually and is not based on field recording of latitude/longitude .as a result the area proposed for the division comes to 0.54 ha which is far less than 2.00 ha. The state government is requested to remark the diversion area on KML file.	Due to non-availability of non-forest land and private land in the area, a certificate issued by nearby 4 gram Pradhan mentioning non availability of private land / village land and a certificate issued by revenue office mentioning non forest land is available for constructing the college is attached in online proposal & justification for locating the college in forest patch is uploaded at Para D (i) in Part I. Corrected KML file of each patch is uploaded in proposal at Para C (ii) (a) in Part I, in which the area proposed for the division comes to 2.00 ha. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 01)**

3.	If the area proposed for diversion is taken in more than one patch, it is requested to submit the layout plan and activity details of each polygon /patch separately.	A layout plan and activity detail of each polygon /patch is uploaded separately at Para B-2.4 in Part I & at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 02)**
4.	It is also noticed that three patches of proposed area selected for college which are far from each other. State Govt. is requested to clarify this in detail and provide the information in this regard.	Three patches of proposed area selected for college which are far from each other due to non-availability of non-forest land and private land in the area, a certificate issued by nearby 4 gram Pradhan mentioning non availability of private land/village land and a certificate issued by revenue office mentioning non forest land is available for constructing the college is attached in online proposal & justification for locating the college in forest patch is uploaded at Para D (i) in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 01)** **Note-** Same attachement is submitted in query 02.
5.	Building is already constructed in one patch as per KML file. No details of the same submitted in the justification or in State Govt. proposal. State Govt. is requested to submit a detailed report in this regard.	Building is not completed constructed in patch I (Khasra no 4158), after work upto plinth level, M.S Column have been erected by manufacturing organization (U.P.R.N.N.Limited).The construction was started by the manufacturing organization without the land transfer and by writing a letter to the construction agency by the institution, it was asked to start the construction work only after the transfer of land.A detailed report is attached in this regard at attachment no 04 & uploaded online at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 03)**
6.	Digital map for the proposed area is not found uploaded. State Govt. is requested to upload the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion at para C in Part I.	Geo-referenced digital map for the proposed area for diversion is uploaded online at para C (iii), (iv) in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 04)**
7.	It is seen that 11 trees proposed for enumeration. State Govt. is requested to clarify whether the same are required to be cut or not.	Yes, it is clarify that 11 trees are proposed for enumeration, same are required to be cut. Performa 15.5 related to this query is already attached in proposal at page no.49 which has already been submitted along with the proposal & uploaded online at additional information details documents in Part I.
8.	Details of all components not mentioned at para B 2.4 in Part I. State Govt. may upload the details so all the components proposed in the proposal at para B 2.4 in component wise breakup.	Component wise breakup is uploaded at Para B 2.4 in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 05)**

9.	Requirement of the building in the forest area not justified in the justification. Instead of justifying locating the project in forest area, benefits of the college submitted in the justification. State govt. may upload the justification for locating the project in forest area.	Justification for locating the project in forest area is uploaded at Para D (i) in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 01)** **Note-** Same attachement is submitted in query 02
10.	Details of alternative explored not uploaded online at Para D (ii) (a), Which may be done.	This query is not applicable for this proposal & this Para D (ii) (a) is not showing at online portal of user agency.
11.	Permanent employment mentioned as 0 at para E in Part I. State Govt. is requested to clarify the same.	Permanent employment is corrected as 29 which show the no. of permanent employees sanctioned for Government Polytechnic Chopta(Rudraprayag) at para E (ii) in Part I. Documents related to this query is uploaded online at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 06)**
12.	Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting proceeding uploaded online is found incomplete. Further, the date is also not mentioned in the Sub-Divisional Level Committee proceedings. State Govt. may upload the complete SDLC meeting proceedings with date.	Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting proceedings with date is uploaded online at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 07)**
13.	FRA of DM for non-linear category is not found uploaded, which may be uploaded.	FRA of DM for non-linear category is uploaded at Para K (i) (a) in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 08)**
14.	It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion. Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for penal CA. State Govt. may submit a detailed report if any violation found in the proposal.	8 ha area is selected for penal CA. Document related to this is uploaded online at additional information details documents in Part I.
15.	"Others" is mentioned at present owner at para L (iv) (e).State Govt. may submit clarification.	At para L (iv) (e), Others means the present owner of penal CA land is revenue village "Gorna Van Panchayat". At para L (iv) (e), only two options are showing one option is user agency and second option is others.hence second option "others" is filled.
16.	CA scheme, aerial distance,NPV sheet, tree enumeration list and land schedule uploaded in Part II, para 13 are not clear. State Govt. Is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.	CA scheme, aerial distance,NPV sheet, tree enumeration list and land schedule uploaded in Part II, para 13 are uploaded as originally scanned documents in PDF as additional information documents.
17.	Name of area mentioned in CA scheme is "Swari', however in other documents it is mentioned as 'Gorna'. State Govt. may clarify the discrepancy and provide the correct document.	Name of area mentioned in CA scheme is 'Gorna', previously the selected Proposed CA land was village Swari, which was not suitable for CA scheme & rejected by forest and revenue department and by the mistake some documents

		related to previous rejected CA Land "Swari Village" were uploaded in online proposal. Now the correct documents is uploaded at para L (iv) & at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 09)**
18.	Date of tree counting is not mentioned in the tree enumeration list. State Govt. may submit the Tree enumeration list mentioning the date of tree counting.	Tree enumeration list mentioning the date of tree counting is uploaded at additional information details documents.Documents related to this query is attached in proposal at page no.18 and 19, which has already been submitted along with the proposal.
19.	Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, bar chart, geologist report and work not start certificate not found uploaded online or opening error. State Govt. is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.	Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, bar chart, geologist report and work not start certificate are uploaded as originally scanned documents in PDF as additional information documents.

❖ **आपत्ति किस स्तर से लगाई गयी एवं दिनांक–** पत्रांक– 4093/12–1(2) कार्यालय,उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वनप्रभाग रुद्रप्रयाग दिनांक 22 अप्रैल 2022

क्र. स0	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
1.	उक्त आपत्तियों का निराकरणोंपरान्त सन्दभित पत्र पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड नहीं किया गया है, तथा संशोधित संलग्नकों पर प्रपत्र संख्या एवं संलग्नक संख्या भी नहीं किया गया है।	उक्त आपत्तियों का निराकरणोंपरान्त सन्दभित पत्र पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड कर लिया गया है, तथा संशोधित संलग्नकों पर प्रपत्र संख्या एवं संलग्नक संख्या भी अंकित कर दी गयी है।
2.	संशोधित प्रतिवेदन/Justification की हस्ताक्षरित हार्ड प्रति संलग्नकों के साथ चस्पा नहीं है,जबकि पोर्टल पर आनलाईन अपलोड की गई है।	संशोधित प्रतिवेदन/Justification की हस्ताक्षरित हार्ड प्रति संलग्नकों के साथ चस्पा कर ली गई है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 01)**
3.	संशोधित प्रतिवेदन/Justification को उक्त आपत्ति पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–2, 5, 9 के अनुसार नहीं बनाया गया है।	संशोधित प्रतिवेदन/Justification को उक्त आपत्ति पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–2, 5, 9 के अनुसार बना लिया गया है। पोर्टल के Para D (i) in Part I में आनलाईन अपलोड कर लिया गया है।
4.	ले आऊट प्लान की मूल प्रति चस्पा नहीं की गई है यदि मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।	ले आऊट प्लान की मूल प्रति प्रस्ताव में चस्पा कर ली गई है। पोर्टल के Para B-2.4 in Part I में आनलाईन भर दिया गया है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 02)**
5.	बिन्दु संख्या–5 पूर्व में किये गये निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत आख्या नहीं दी गई है।	बिन्दु संख्या–5 पूर्व में किये गये निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत आख्या बिन्दुवार तैयार कर चस्पा कर दी गई है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 03)**

6.	वृक्षों के पातन संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति चस्पा नहीं की गई यदि मूल प्रति में प्रषित की गई है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।	वृक्षों के पातन संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को आपके कार्यालय में पूर्व में प्रेषित की गयी थी।
7.	बिन्दु संख्या–8 कम्पोनेन्टस विवरण को आनलाईन भरा जाना है तथा कम्पोनेन्टस विवरण प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है, जबकि कुल 06 पृष्ठ चस्पा कर प्रेषित किये है, जिनका कोई औचित्य नहीं।	बिन्दु संख्या–8 कम्पोनेन्टस विवरण को आनलाईन पोर्टल के Para B-2.4 in Part I में भर दिया गया तथा कम्पोनेन्टस विवरण प्रमाण पत्र चस्पा कर लिया गया है । **(Attachment no/संलग्नक स0 – 05)**
8.	बिन्दु संख्या–12 एफ0आर0ए0 से संबंधित प्रमाण पत्रों को आनलाईन अपलोड किये गये पैरा का विवरण नहीं।	बिन्दु संख्या–12 एफ0आर0ए0 से संबंधित प्रमाण पत्रों को आनलाईन पोर्टल के पैरा K (i) (a) में अपलोड कर लिया गया है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 08)**
9.	बिन्दु संख्या–14 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र, योजना संलग्नकों में चस्पा नहीं किये गये है, जबकि इस कार्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर आपको मूल प्रति उपलब्ध करा दी गई थी, न ही मूल प्रति आनलाईन अपलोड की गई है।	बिन्दु संख्या–14 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र की कलर छायाप्रति योजना संलग्नकों में चस्पा कर लिया गया है, एवं मूल प्रति आनलाईन पोर्टल के पैरा L in Part I में अपलोड कर ली गई है। प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को आपके कार्यालय में पूर्व में प्रेषित की गयी थी। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 09)**
10.	पोर्टल के पैरा–L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का (गोरणा सिविल या वन पंचायत) पूर्ण विवरण नहीं भरा गया है, जबकि अपलोड एम0ओ0यू0 प्रमाण पत्र में वन पंचायत भूमि का उल्लेख किया गया है।	पोर्टल के पैरा–L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (गोरणा वन पंचायत) का पूर्ण विवरण भर लिया गया है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 09)**
11.	मक डिस्पोजल प्लान में उल्लेख किया गया है कि परियोजना से उत्सर्जित मलवे का इस्तेमाल दीवारों के निर्माण कार्य में किया जाऐगा, जबकि प्लान के साथ योजना भी अपलोड की गई है, जिसे पोर्टल से डिलीट एवं प्रस्ताव से हटा दिया जाय।	मक डिस्पोजल प्लान के साथ संलग्न योजना पोर्टल से डिलीट एवं प्रस्ताव से हटा दी गयी है।
12.	उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा संशोधित प्रमाण पत्रों के साथ अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दो–तीन प्रतियों में चस्पा की गयी है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है।	अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्रस्ताव से हटा दी गयी है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कुल (05) प्रतियाँ जमा की गई ।

भवदीय,

(तपन अरोड़ा)
समन्वयक / प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
कौथला रुद्रप्रयाग

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0 सी0/1373 दिनांक: 07 /01/2022

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (कूड़ादानकोट) में राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/Others/44711/2020)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1192/FP/UK/ Others/44711/2020 दिनांक 12-11-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:–

1. It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State Govt is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.
2. On perusal of the KML file of the proposed area, there appears to be sufficient non-forest land in the vicinity so a compelling justification for locating the college in forest patch is not clearly given. Further, it seems that the polygons in the KML file are drawn very casually and is not based on field recording of latitude/ longitude. As a result the area proposed for the diversion comes to 0.54 ha which is far less than 2.00 ha. The State Government is requested to remark the diversion area on KML file.
3. If the area proposed for diversion is taken in more than one patch, it is requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/ patch separately.
4. It is also noticed that three patches of proposed area selected for college which are far from each other. State Govt is requested to clarify this in detail and provide the information in this regard.
5. Building is already constructed in one patch as per KML file. No details of the same submitted in the justification or in State Govt proposal. State Govt is requested to submit a detailed report in this regard.
6. Digital map for the proposed area is not found uploaded. State govt is requested to upload the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion at para C in Part I.

7. It is seen that 11 trees proposed for enumeration. State Govt is requested to clarify whether the same are required to be cut or not.
8. Details of all components not mentioned at para B 2.4 in Part I. State Govt may upload the detail so all the components proposed in the proposal at para B 2.4 in component wise breakup.
9. Requirement of the building in the forest area not justified in the justification. Instead of justifying locating the project in forest area, benefits of the college submitted in the justification. State Govt may upload the justification for locating the project in forest area.
10. Details of alternative explored not uploaded online at para D (ii) (a), which may be done.
11. Permanent employment mentioned as 0 at Para E in Part I. State Govt is requested to clarify the same.
12. Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting proceedings uploaded online is found incomplete. Further, the date is also not mentioned in the Sub-Divisional Level Committee proceedings. State Govt may upload the complete SDLC meeting proceedings with date.
13. FRA of DM for non-linear category is not found uploaded, which may uploaded.
14. It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion. Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for Penal CA. State Govt may submit a detailed report if any violation found in the proposal.
15. "Others" is mentioned at present owner at para L (iv) (e). State Govt may submit clarification.
16. CA scheme, aerial distance, NPV sheet, tree enumeration list and land schedule uploaded in Part II, para 13 are not clear. State Govt is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.
17. Name of the area mentioned in CA scheme is 'Swari', however in other documents it is mentioned as 'Gorna'. State Govt may clarify this discrepancy and provide correct document.
18. Date of tree counting is not mentioned in the tree enumeration list. State Govt may submit the Tree enumeration list mentioning the date of tree counting.
19. Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, bar chart, geologist report and work not start certificate not found uploaded online or opening error. State Govt is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

FORESTQUERY RESPONSE

Proposal No. – FP/UK/OTHERS/44711/2020
Name of Project: Construction of G.P.Chopta(Rudraprayag)

INDEX

S No.	QUERY	RESPONSE
1.	It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State govt. is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.	The proposal is submitted in view of the guideline para 1.15.
2.	On perusal of the KML file of the proposed area, there appears to be sufficient non-forest land in the vicinity so a compelling justification for locating the college in forest patch is not clearly given. further, it seems that the polygons in the KML file are drawn very casually and is not based on field recording of latitude/longitude .as a result the area proposed for the division comes to 0.54 ha which is far less than 2.00 ha. The state government is requested to remark the diversion area on KML file.	Due to non-availability of non-forest land and private land in the area, a certificate issued by nearby 4 gram Pradhan mentioning non availability of private land / village land and a certificate issued by revenue office mentioning non forest land is available for constructing the college is attached in online proposal & justification for locating the college in forest patch is uploaded at Para D (i) in Part I. Corrected KML file of each patch is uploaded in proposal at Para C (ii) (a) in Part I, in which the area proposed for the division comes to 2.00 ha. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 01)**
3.	If the area proposed for diversion is taken in more than one patch, it is requested to submit the layout plan and activity details of each polygon /patch separately.	A layout plan and activity detail of each polygon /patch is uploaded separately at Para B-2.4 in Part I & at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 02)**
4.	It is also noticed that three patches of proposed area selected for college which are far from each other. State Govt. is requested to clarify this in detail and provide the information in this regard.	Three patches of proposed area selected for college which are far from each other due to non-availability of non-forest land and private land in the area, a certificate issued by nearby 4 gram Pradhan mentioning non availability of private land/village land and a certificate issued by revenue office mentioning non forest land is available for constructing the college is attached in online proposal & justification for locating the college in forest patch is uploaded at Para D (i) in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 01)** **Note-** Same attachement is submitted in query 02
5.	Building is already constructed in one patch as per KML file. No details of the same submitted in the justification or in State Govt. proposal. State Govt. is requested to submit a detailed report in this regard.	Building is not completed constructed in patch I (Khasra no 4158), after work upto plinth level, M.S Column have been erected by manufacturing organization (U.P.R.N.N.Limited).The construction was started by the manufacturing organization without the land transfer and by writing a letter to

		the construction agency by the institution, it was asked to start the construction work only after the transfer of land.A detailed report is attached in this regard at attachment no 04 & uploaded online at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 03)**
6.	Digital map for the proposed area is not found uploaded. State Govt. is requested to upload the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion at para C in Part I.	Geo-referenced digital map for the proposed area for diversion is uploaded online at para C (iii), (iv) in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 04)**
7.	It is seen that 11 trees proposed for enumeration. State Govt. is requested to clarify whether the same are required to be cut or not.	Yes, it is clarify that 11 trees are proposed for enumeration, same are required to be cut. Performa 15.5 related to this query is already attached in proposal at page no.49 which has already been submitted along with the proposal & uploaded online at additional information details documents in Part I.
8.	Details of all components not mentioned at para B 2.4 in Part I. State Govt. may upload the details so all the components proposed in the proposal at para B 2.4 in component wise breakup.	Component wise breakup is uploaded at Para B 2.4 in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 05)**
9.	Requirement of the building in the forest area not justified in the justification. Instead of justifying locating the project in forest area, benefits of the college submitted in the justification. State govt. may upload the justification for locating the project in forest area.	Justification for locating the project in forest area is uploaded at Para D (i) in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 01)** **Note-** Same attachement is submitted in query 02
10.	Details of alternative explored not uploaded online at Para D (ii) (a), Which may be done.	This query is not applicable for this proposal & this Para D (ii) (a) is not showing at online portal of user agency.
11.	Permanent employment mentioned as 0 at para E in Part I. State Govt. is requested to clarify the same.	Permanent employment is corrected as 29 which show the no. of permanent employees sanctioned for Government Polytechnic Chopta(Rudraprayag) at para E (ii) in Part I. Documents related to this query is uploaded online at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 06)**
12.	Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting proceeding uploaded online is found incomplete. Further, the date is also not mentioned in the Sub-Divisional Level Committee proceedings. State Govt. may upload the complete SDLC meeting proceedings with date.	Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting proceedings with date is uploaded online at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 07)**

13.	FRA of DM for non-linear category is not found uploaded, which may be uploaded.	FRA of DM for non-linear category is uploaded at Para K (i) (a) in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 08)**
14.	It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion. Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for penal CA. State Govt. may submit a detailed report if any violation found in the proposal.	8 ha area is selected for penal CA. Document related to this is uploaded online at additional information details documents in Part I.
15.	"Others" is mentioned at present owner at para L (iv) (e).State Govt. may submit clarification.	At para L (iv) (e), Others means the present owner of penal CA land is revenue village "Gorna Van Panchayat''. At para L (iv) (e), only two options are showing one option is user agency and second option is others.hence second option "others" is filled.
16.	CA scheme, aerial distance,NPV sheet, tree enumeration list and land schedule uploaded in Part II, para 13 are not clear. State Govt. Is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.	CA scheme, aerial distance,NPV sheet, tree enumeration list and land schedule uploaded in Part II, para 13 are uploaded as originally scanned documents in PDF as additional information documents.
17.	Name of area mentioned in CA scheme is "Swari', however in other documents it is mentioned as 'Gorna'. State Govt. may clarify the discrepancy and provide the correct document.	Name of area mentioned in CA scheme is 'Gorna', previously the selected Proposed CA land was village Swari, which was not suitable for CA scheme & rejected by forest and revenue department and by the mistake some documents related to previous rejected CA Land "Swari Village" were uploaded in online proposal. Now the correct documents is uploaded at para L (iv) & at additional information details documents in Part I. **(Attachment no/संलग्नक स0 – 09)**
18.	Date of tree counting is not mentioned in the tree enumeration list. State Govt. may submit the Tree enumeration list mentioning the date of tree counting.	Tree enumeration list mentioning the date of tree counting is uploaded at additional information details documents. Documents related to this query is attached in proposal at page no.18 and 19, which has already been submitted along with the proposal.
19.	Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, bar chart, geologist report and work not start certificate not found uploaded online or opening error. State Govt. is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.	Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, bar chart, geologist report and work not start certificate are uploaded as originally scanned documents in PDF as additional information documents.

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 4093 / 12-1(2) दिनांक 22/04/2022::

सेवा में

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटैक्निक, चोपता,
रुद्रप्रयाग।

विषयः– जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, (कुण्डा दानकोट) रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–21 / भूमि ह0 / 2022–23 दिनांक 11.04.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–08बी / यू0सी0पी0 / 09 / 140 / 2021 / एफ0सी0 / 1373 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दुओं पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आप द्वारा उक्त पत्र के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके अवलोकन पर निम्न कमियां पाई गई–

1. उक्त आपत्तियों का निराकरणोंपरान्त सन्दर्भित पत्र पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड नहीं किया गया है तथा संशोधित संलग्नको पर प्रपत्र संख्या एवं संलग्नक संख्या भी नहीं किया गया है।
2. संशोधित प्रतिवेदन / Justification की हस्ताक्षरित हार्ड प्रति संलग्नकों के साथ चस्पा नहीं है, जबकि पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की गई है।
3. संशोधित प्रतिवेदन / Justification को उक्त आपत्ति पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–2, 5, 9 के अनुसार नहीं बनाया गया है।
4. ले आऊट प्लान की मूल प्रति चस्पा नहीं की गई है यदि मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।
5. बिन्दु संख्या–5 पूर्व में किये गये निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत आख्या नहीं दी गई है।
6. वृक्षों के पातन संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति चस्पा नहीं की गई है यदि मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।
7. बिन्दु संख्या–8 कम्पोनेन्टस विवरण को ऑनलाईन भरा जाना है तथा कम्पोनेन्टस विवरण प्रमाण पत्र चस्पा किया जाना है, जबकि कुल 06 पृष्ठ चस्पा कर प्रेषित किये गये है, जिनका कोई औचित्य नहीं।
8. बिन्दु संख्या–12 एफ0आर0ए0 से संबंधित प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन अपलोड किये गये पैरा का विवरण नहीं दिया गया है।
9. बिन्दु संख्या–14 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र, योजना संलग्नकों में चस्पा नही किये गये हैं, जबकि इस कार्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर आपको मूल प्रति उपलब्ध करा दी गई थी, न ही मूल प्रति ऑनलाईन अपलोड की गई है।

c/c

10. पोर्टल के पैरा–L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का (गोरणा सिविल या वन पंचायत) पूर्ण विवरण नहीं भरा गया है, जबकि अपलोड एम0ओ0यू0 प्रमाण पत्र में वन पंचायत भूमि का उल्लेख किया गया है।

11. मक डिस्पोजल प्लान में उल्लेख किया गया है कि परियोजना से उत्सर्जित मलवे का इस्तेमाल दीवारों के निर्माण कार्य में किया जायेगा, जबकि प्लान के साथ योजना भी अपलोड की गई है, जिसे पोर्टल से डिलीट एवं प्रस्ताव से हटा दिया जाय।

12. उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा संशोधित प्रमाण पत्रों के साथ अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दो–तीन प्रतियों में चस्पा की गयी हैं, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है।

अतः उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव की 05 प्रतियों को इस कार्यालय से प्राप्त कर पुनः उपरोक्त बिन्दुओं का शीघ्र निराकरण कर बिन्दुवार आख्या भारत सरकार के उक्त आपत्ति पत्र में उल्लिखित 19 बिन्दुओं के अनुसार ऑनलाईन एवं संशोधित प्रपत्रों की हार्ड प्रति में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

<u>संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 4093 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

FOREST QUERY RESPONSE

PROPOSAL NO : FP/UK/OTHERS/44711/2020
NAME OF PROJECT : CONSTRUCTION of G.P. CHOPTA RUDRAPRAYAG

क्र.स0	आपत्ति / कमियाँ	निराकरण
1.	उक्त आपत्तियों का निराकरणोंपरान्त सन्दभित पत्र पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड नहीं किया गया है, तथा संशोधित संलग्नकों पर प्रपत्र संख्या एवं संलग्नक संख्या भी नहीं किया गया है।	उक्त आपत्तियों का निराकरणोंपरान्त सन्दभित पत्र पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड कर लिया गया है, तथा संशोधित संलग्नकों पर प्रपत्र संख्या एवं संलग्नक संख्या भी अंकित कर दी गयी है।
2.	संशोधित प्रतिवेदन / Justification की हस्ताक्षरित हार्ड प्रति संलग्नकों के साथ चस्पा नहीं है,जबकि पोर्टल पर आनलाईन अपलोड की गई है।	संशोधित प्रतिवेदन / Justification की हस्ताक्षरित हार्ड प्रति संलग्नकों के साथ चस्पा कर ली गई है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 01)**
3.	संशोधित प्रतिवेदन / Justification को उक्त आपत्ति पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–2, 5, 9 के अनुसार नहीं बनाया गया है।	संशोधित प्रतिवेदन / Justification को उक्त आपत्ति पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–2, 5, 9 के अनुसार बना लिया गया है। पोर्टल के Para D (i) in Part I में आनलाईन अपलोड कर लिया गया है।
4.	ले आऊट प्लान की मूल प्रति चस्पा नहीं की गई है यदि मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की गई है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।	ले आऊट प्लान की मूल प्रति प्रस्ताव में चस्पा कर ली गई है। पोर्टल के Para B-2.4 in Part I में आनलाईन भर दिया गया है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 02)**
5.	बिन्दु संख्या–5 पूर्व में किये गये निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत आख्या नहीं दी गई है।	बिन्दु संख्या–5 पूर्व में किये गये निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत आख्या बिन्दुवार तैयार कर चस्पा कर दी गई है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 03)**
6.	वृक्षों के पातन संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति चस्पा नहीं की गई यदि मूल प्रति में प्रषित की गई है तो उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।	वृक्षों के पातन संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को आपके कार्यालय में पूर्व में प्रेषित की गयी थी।
7.	बिन्दु संख्या–8 कम्पोनेन्टस विवरण को आनलाईन भरा जाना है तथा कम्पोनेन्टस विवरण प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है, जबकि कुल 06 पृष्ठ चस्पा कर प्रेषित किये है, जिनका कोई औचित्य नहीं।	बिन्दु संख्या–8 कम्पोनेन्टस विवरण को आनलाईन पोर्टल के Para B-2.4 in Part I में भर दिया गया है तथा कम्पोनेन्टस विवरण प्रमाण पत्र चस्पा कर लिया गया है । **(Attachment no/संलग्नक स0 – 05)**
8.	बिन्दु संख्या–12 एफ0आर0ए0 से संबंधित प्रमाण पत्रों को आनलाईन अपलोड किये गये पैरा का विवरण नहीं।	बिन्दु संख्या–12 एफ0आर0ए0 से संबंधित प्रमाण पत्रों को आनलाईन पोर्टल के पैरा K (i) (a) में अपलोड कर लिया गया है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 08)**

9.	बिन्दु संख्या–14 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र, योजना संलग्नकों में चस्पा नहीं किये गये है, जबकि इस कार्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर आपको मूल प्रति उपलब्ध करा दी गई थी, न ही मूल प्रति आनलाईन अपलोड की गई है।	बिन्दु संख्या–14 क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र की कलर छायाप्रति योजना संलग्नकों में चस्पा कर लिया गया है, एवं मूल प्रति आनलाईन पोर्टल के पैरा L in Part I में अपलोड कर ली गई है। प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को आपके कार्यालय में पूर्व में प्रेषित की गयी थी। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 09)**
10.	पोर्टल के पैरा–L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का (गोरणा सिविल या वन पंचायत) पूर्ण विवरण नहीं भरा गया है, जबकि अपलोड एम0ओ0यू0 प्रमाण पत्र में वन पंचायत भूमि का उल्लेख किया गया है।	पोर्टल के पैरा–L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (गोरणा वन पंचायत) का पूर्ण विवरण भर लिया गया है। **(Attachment no/संलग्नक स0 – 09)**
11.	मक डिस्पोजल प्लान में उल्लेख किया गया है कि परियोजना से उत्सर्जित मलवे का इस्तेमाल दीवारों के निर्माण कार्य में किया जाऐगा, जबकि प्लान के साथ योजना भी अपलोड की गई है, जिसे पोर्टल से डिलीट एवं प्रस्ताव से हटा दिया जाय।	मक डिस्पोजल प्लान के साथ संलग्न योजना पोर्टल से डिलीट एवं प्रस्ताव से हटा दी गयी है।
12.	उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा संशोधित प्रमाण पत्रों के साथ अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दो–तीन प्रतियों में चस्पा की गयी है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है।	अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्रस्ताव से हटा दी गयी है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

(91)

परियोजना का नाम :– जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00 हे0 भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

परियोजना का औचित्य

मा0 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790 / XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त शासनादेशों की प्रतियां प्रस्ताव में संलग्न की जा रही है।

परियोजना का वन पंचायत भूमि में निर्माण किये जाने का औचित्य निम्नवत है –

- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण हेतु आस–पास के ग्राम स्तर पर कोई निजी भूमि उपलब्ध नही है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण हेतु राजस्व क्षेत्र में गैर वानिकी स्तर पर कोई भूमि उपलब्ध नही है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण हेतु कुण्डादानकोट क्षेत्र मे अन्य कोई निजी भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन पंचायत भूमि की स्वीकृति लेने के अलावा और कोई विकल्प शेष नही है। जिला प्रशासन द्वारा चोपता के निकट ही ग्राम कुण्डादानकोट नामक स्थान पर भूमि का चयन किया गया है जो कि वर्तमान में वन पंचायत का हिस्सा है तथा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की कुण्डादानकोट राजि के अन्तर्गत आता है।
- ❖ उक्त चयनित वन भूमि मोटर मार्ग के किनारे स्थित है एवं साथ ही बिजली, पानी की भी उपलब्धता है। जिससे पालीटेक्निक में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं,अध्यापकों एवं स्टॉफ को यातायात, बिजली एवं पानी की भी सुविधा प्राप्त होगी।
- ❖ चयनित स्थल का भू–वैज्ञानिक द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा भी प्रस्तावित स्थल को पालीटेक्निक के भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया ।
- ❖ चयनित वन पंचायत भूमि पालीटेक्निक के निर्माण हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी भी सहमत है।
- ❖ उपरोक्त सभी कारणों से चयनित स्थल पालीटेक्निक के निर्माण के लिए अति उपयुक्त पाया गया है।
- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण होने के पश्चात राज्य व क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।
- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण होने के पश्चात उपरोक्त वन भूमि विकसित होगी, जिससे वन्य क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगें
- ❖ जनपद का लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वन भूमि की परिधि में आता है एवं जिस पर वन अधिनियम लागू होता है, बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त वन पंचायत भूमि चयन अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है। जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत गठित कर, स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

231

प्रेषक,

संख्या– 790 / XLI-1 / 2013–79 / 13

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 22 अगस्त, 2013

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संस्थान ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार 15 दिन के भीतर भूमि, भवन, पाठ्यक्रम एवं पदों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अतः सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।
4. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु आस–पास के ग्राम स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है व चयनित वन भूमि (खसरा सं0 3308 मध्ये 0.040 हे0 भूमि, खसरा सं0 3391 मध्ये 0.700 हे0 भूमि, खसरा सं0 4158 मध्ये 0.400 हे0 भूमि, खसरा सं0 4059 मध्ये 0.860 हे0 भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना संम्भव नही है ।

04-03-2022
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डा दानकोट
ह0
दि0 04.03.22

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0
दि0
वि0 ख0– अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0
दि0 04.03.22

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0
दि0 04.03.22

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विद्यानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु राजस्व क्षेत्र गैर वानिकी स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है व चयनित वन भूमि (खसरा स0 3308 मध्ये 0.040 हे0 भूमि, खसरा सं0 3391 मध्ये 0.700हे0 भूमि, खसरा सं0 4158 मध्ये . 0400 हे0 भूमि, खसरा सं0 4059 मध्ये 0.860 हे0 भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नही है । सत्यापित

15/3/2022

चोपता

CS

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

(13)

EDIFICE

DESIGN
ARCHITECTURE
INTERIORS

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the following are the details for the 'Proposed Polytechnic' at **Chopta, Rudraprayag** (Uttarakhand).

- Total Plot Area = 20860 Sqm.
- Ground floor coverage (20.78%) =4335 Sqm.
- Permissible Ground Coverage = **(@55%)**
- Total Built up Area = 5975 Sqm.
- FAR Achieved = 28.64% OR 0.2864
- Permissible FAR = **(@1.9)**
- FSI Achieved =0.2864

...nager
U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

For Edifice

(Authorised Signatory)

AMIT SHARMA
CA/96/20758

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

6121/4, Sector D-6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070, Tel : (011) 46068285

E-mail : amit@asarchitects.in

(12)

EDIFICE
DESIGN
ARCHITECTURE
INTERIORS

	AREA CHART	
1.	GROUND FLOOR COVERAGE	
a)	BUILDING-I (PHASE – I)	= 1120 SQ.M
b)	BUILDING-II (PHASE-I)	= 1660 SQ.M
c)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER	= 525 SQ.M
d)	PRINCIPAL QUARTER	= 170 SQ.M
e)	GUEST HOUSE & SPORT CLUB/GYM	= 285 SQ.M
f)	ADDITIONAL WORKSHOP	= 575 SQ.M
	TOTAL GROUND FLOOR COVERAGE	**= 4335 SQ.M**
2.	TOTAL COVERED AREA	
a)	BUILDING-I (PHASE – I)	= 1120 SQ.M
b)	BUILDING-II (PHASE-I)	= 3300 SQ.M
c)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER	= 525 SQ.M
d)	PRINCIPAL QUARTER	= 170 SQ.M
e)	GUEST HOUSE & SPORT CLUB/GYM	= 285 SQ.M
f)	ADDITIONAL WORKSHOP BUILDING -I	= 575 SQ.M
	TOTAL GROUND FLOOR COVERAGE	**= 5975 SQ.M**

TOTAL SITE AREA = 20860 SQ.M

GROUND FLOOR OVERAGE = 4335 SQ.M

= 4335x100 / 20860

= 20.78 %

PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = **(@ 55%)**

TOTAL BUILT UP AREA = 5975 SQ.M

FAR = 5975x100 / 20860

= 28.64% OR 0.2864

PERMISSIBLE FAR = **(@1.9)**

ACHIEVED FAR = 28.64% OR 0.2864

(F.S.I) = 0.2864

AMIT SHARMA
CA/96/20758

U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

6121/4, Sector D-6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070, Tel : (011) 46068285

E-mail : amit@asarchitects.in

(11)

EDIFICE

DESIGN
ARCHITECTURE
INTERIORS

PHASE WISE CONSTRUCTION WORK FOR 'GOVERNMENT POLYTECHNIC AT
CHOPTA, RUDRAPRAYAG

PHASE- I - BUILDING-I (AS MARKED SITE PLAN) CARPET AREA – 864 SQ.M. & BUILTUP AREA = 1120 SQ.M. UNDER CONSTRUCTION.

PHASE- II - BUILDING-II, AUDITORIUM/AMPHITHEATER, PRINCIPAL QUARTER, GUEST HOUSE & SPORT CLUB/GYM & ADDITIONAL WORKSHOP(AS MARKED SITE PLAN) CARPET AREA-4034 SQ.M. & BUILTUP AREA -4855 SQ.M. TO BE CONSTRUCTED.

AMIT SHARMA
CA/96/20758

U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग)

6121/4, Sector D-6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070, Tel : (011) 46068285

E-mail : amit@asarchitects.in

PROPOSED POLYTECHNIC AT
CHOPTA, RUDRAPRAYAG
UTTARAKHAND

U.P.R.N.N. LTD.

EDIFICE ARCHITECTS
NEW DELHI

(9)

PHASE WISE CONSTRUCTION DETAILS FOR GOVT. POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG

PHASE- I -BUILDING-I (AS MARKED SITE PLAN) CARPET AREA = 864 SQ. M. & BUILDUP AREA = 1120 SQ.M. UNDER CONSTRUCTION.

PHASE- II -BUILDING-II, AUDITORIUM/AMPHITHEATER, PRINCIPAL QUARTER, GUEST HOUSE & SPORT CLUB/GYM & ADDITIONAL WORKSHOP (AS MARKED SITE PLAN) CARPET AREA = 4034 SQ.M. & BUILDUP AREA= 4855 SQ.M. TO BE CONSTRUCTED.

LAND AREA 2.0860 HECTARE
LAND AREA 5.1544 ACRES

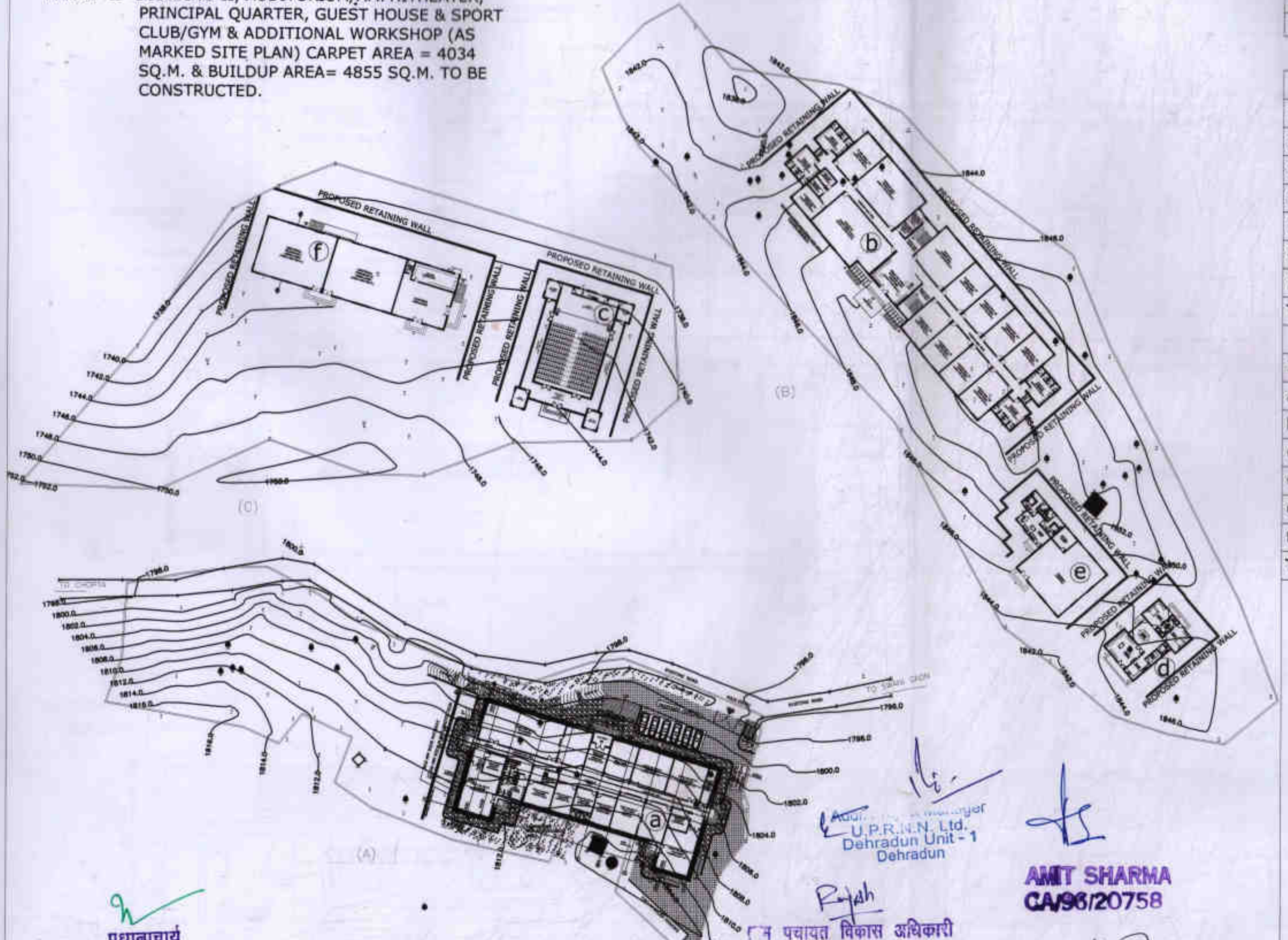

SN.	COMPONENTS ON THE DRAWING
a)	BUILDING-I (PHASE-I)
b)	BUILDING-II (PHASE-II)
c)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER (PHASE-II)
d)	PRINCIPAL QUARTER (PHASE-II)
e)	GUEST HOUSE & SPORT CLUB/GYM (PHASE-II)
f)	ADDITIONAL WORKSHOP & CAFETERIA (PHASE-II)

AREA CHART

1.	GROUND FLOOR COVERAGE	
a)	BUILDING-I PHASE-I	= 1120 SQ.M.
b)	BUILDING-II PHASE-II	= 1660 SQ.M.
c)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER	= 525 SQ.M.
d)	PRINCIPAL QUARTER PHASE-II	= 170 SQ.M.
e)	GUEST HOUSE & SPORT CLUB/GYM	= 285 SQ.M.
f)	ADDITIONAL WORKSHOPS & CAFETERIA	= 575 SQ.M.
	TOTAL GROUND FLOOR COVERAGE	=4335 SQ.M.

AREA CHART

2.	TOTAL COVERED AREA	
a)	BUILDING-I PHASE-I	= 1120 SQ.M.
b)	BUILDING-II PHASE-II	= 3300 SQ.M.
c)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER	= 525 SQ.M.
d)	PRINCIPAL QUARTER PHASE-II	= 170 SQ.M.
e)	GUEST HOUSE & SPORT CLUB/GYM	= 285 SQ.M.
f)	ADDITIONAL WORKSHOPS & CAFETERIA	= 575 SQ.M.
	TOTAL GROUND FLOOR COVERAGE	= 5975 SQ.M.

PLOT AREA = 20860 SQ.M.

TOTAL SITE AREA = 20860 SQ.M.

GROUND FLOOR COVERAGE = 4335 SQ.M.

$= \frac{4335 \times 100}{20860}$

= **20.78%**

PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = (@**55**%)

TOTAL BUILT UP AREA = 5975 SQ.M.

FAR $= \frac{5975 \times 100}{20860}$

= 28.64% OR 0.2864

PERMISSIBLE FAR = **(@ 1.9)**

ACHIEVED FAR = 28.64% OR 0.2864

F. S. I. = **0.2864**

Addl. ... Manager
U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

AMIT SHARMA
CA/96/20758

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रूद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

... पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ...चोपता...
... खण्ड– अगस्त्यमुनि
रुद्रप्रयाग

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS (REV. NO. / DESCRIPTION)	DATE	19.10.2015	EDIFICE	STAGE
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC - SITE PLAN	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.		SCALE	NTS.	6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070 TELEFAX:011-46068285 EMAIL-amit@asarchitects.in	WD
				DEALT	VIKRAM	DESIGN ARCHITECTURE INTERIORS	DRG. NO.
				DESIGN	AMIT		AR - 01

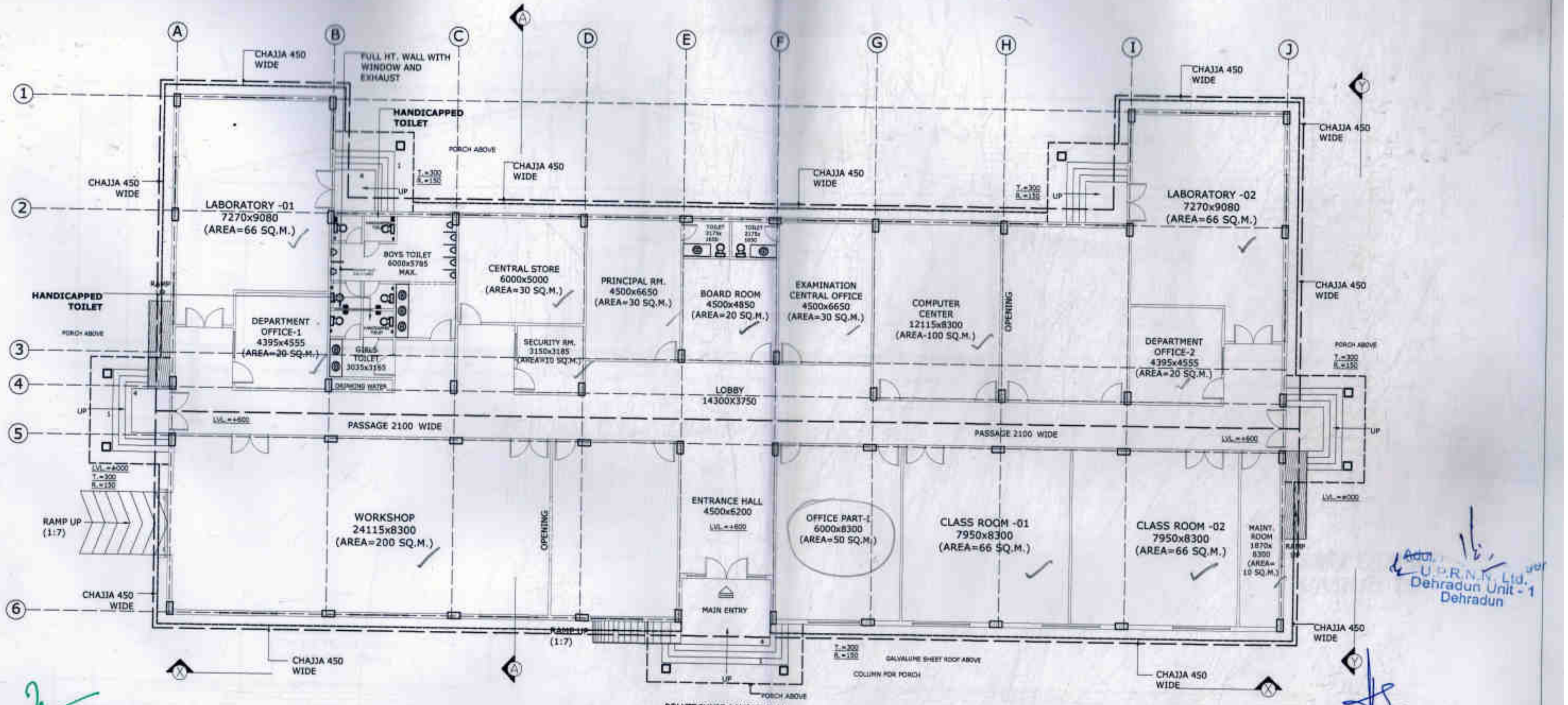

POLYTECHNIC-LAYOUT PLAN

BUILT UP AREA = 1120.00 SQ.M.

LVL.=±000

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

Rajesh
पंचायत विकास अधिकारी
चोपता
विकास खण्ड- अगस्त्यमुनि
ज. पं. रुद्रप्रयाग

AMIT SHARMA
CA/96/20758

Addl. ... U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

ELEVATION X-X

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS				
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC BUILDING - I GROUND FLOOR PLAN & ELEVATION (PHASE - I)	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY	REV. NO. / Date	DATE: 12.01.2015 SCALE: NTS. DEALT: VIKRAM DESIGN: AMIT	DESIGN ARCHITECTURE INTERIORS	EDIFICE 6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070 TELEPHONE 011-46068285 EMAIL-amit@asarchitects.in	STAGE W.D. DRG. NO. AR-02

(7)

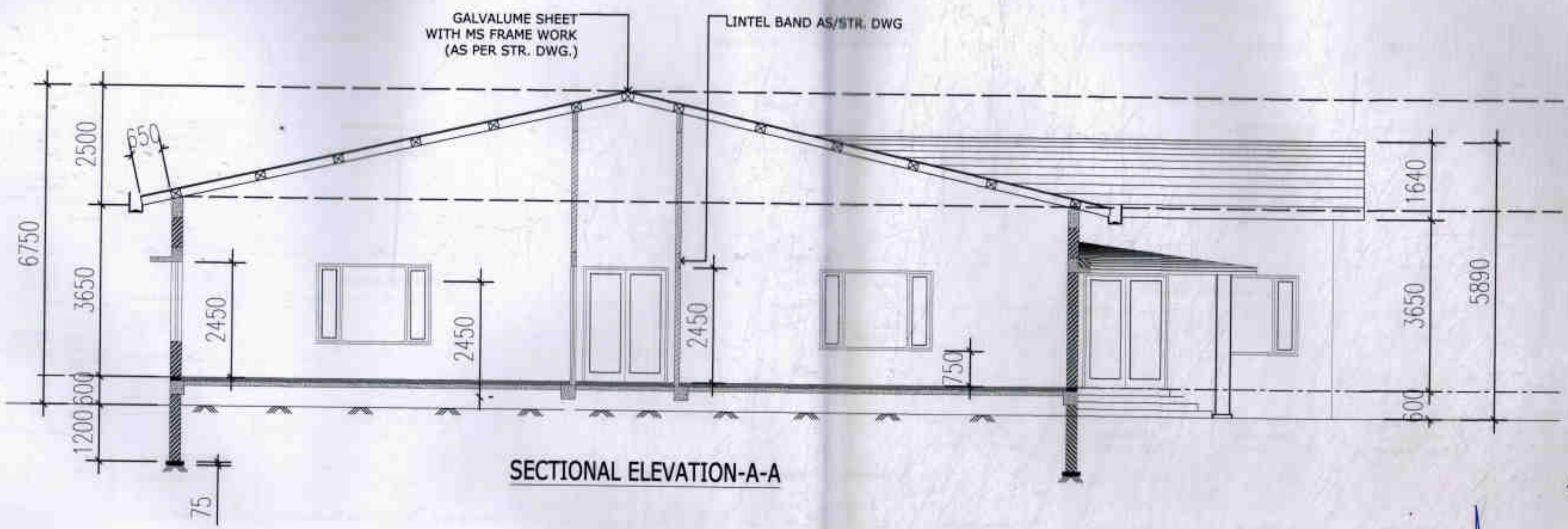

SECTIONAL ELEVATION-A-A

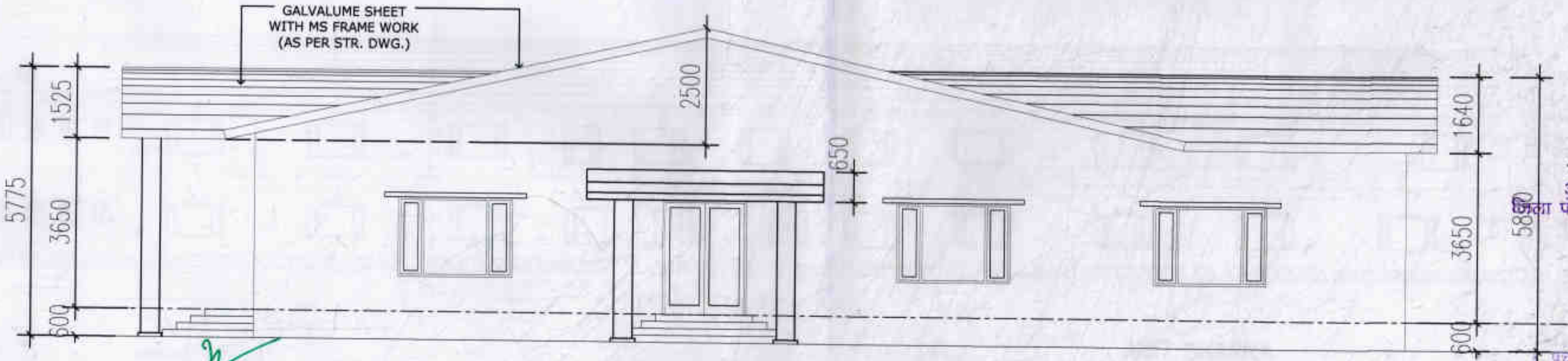

ELEVATION - Y-Y

Addl. Proj. Manager
U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

AMIT SHARMA
CA/96/20758

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र चोपता
विकास खण्ड- अगस्त्यमुनि
ज,पद- रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

PROJECT TITLE PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	DRAWING TITLE POLYTECHNIC BUILDING - I ELEVATION -Y-Y & SECTIONAL ELEVATION -A-A (PHASE - I)	REMARKS 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REVISIONS REV. NO. / DATE	DATE: 12.01.2015 SCALE: 1:100 DEALT: VIKRAM DESIGN: AMIT	DESIGN ARCHITECTURE INTERIORS EDIFICE 6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070 TELEPHONE:011-46056265 EMAIL-amit@asarchitects.in STAGE: CONCEPT DRG. NO. CD-03

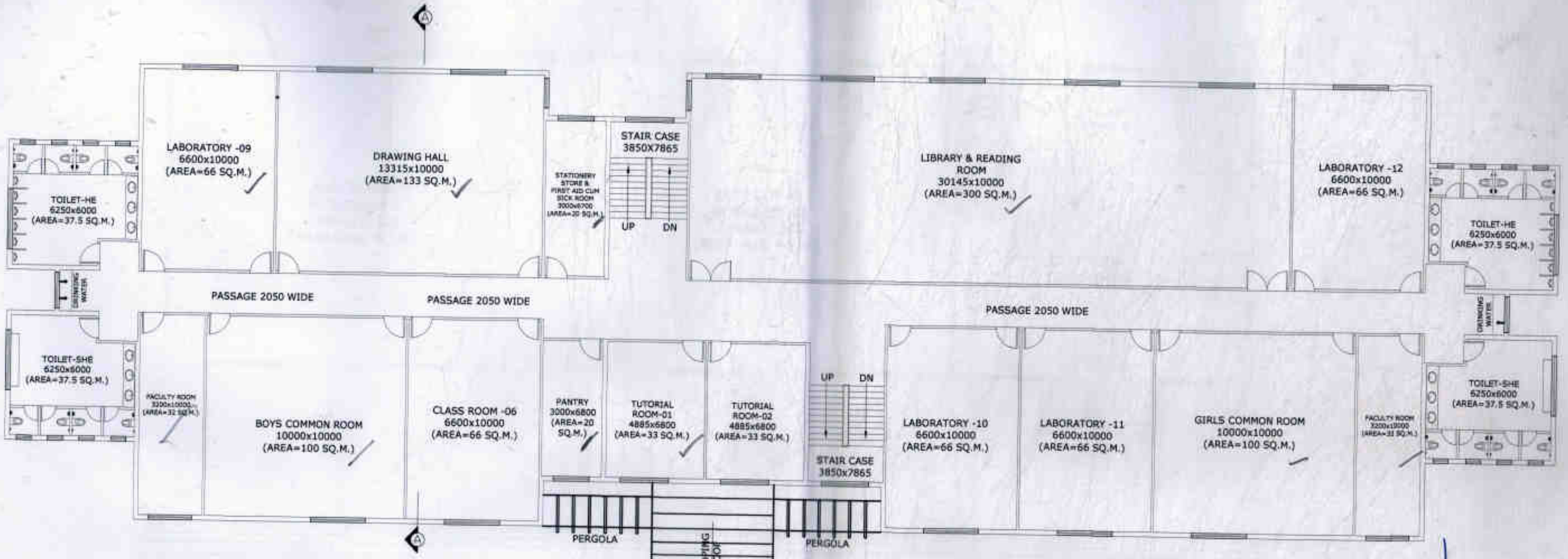

POLYTECHNIC ACADEMIC BLOCK-FIRST FLOOR LAYOUT PLAN (AREA-1640.00 SQ.M.)

AMIT SHARMA
CA/96/20758

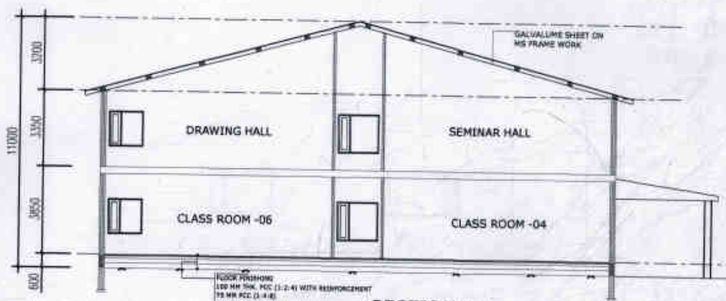

SECTION-A-A

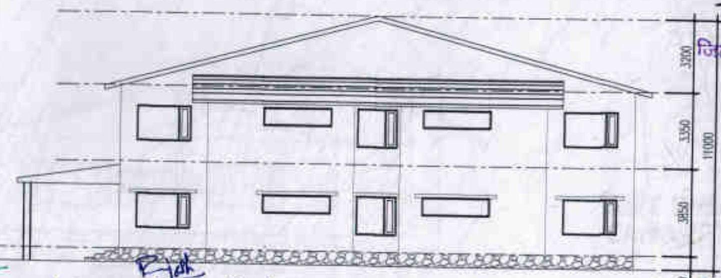

SIDE ELEVATION

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक च...
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

पंचायत विकास अधिकारी
चोपता
खण्ड- अगस्त्यमुनि
रुद्रप्रयाग

U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS			
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC BUILDING - II FIRST FLOOR PLAN & SECTION-A-A (PHASE - II)	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY	REV. NO. / DATE	DATE: 12.01.2015 SCALE: NTS. DEALT: VIKRAM DESIGN: AMIT	EDIFICE DESIGN ARCHITECTURE INTERIORS 6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070 TELEPHONE:011-46098285 Email-amit@esarchitects.in	STAGE: CONCEPT DRG. NO. CD-05

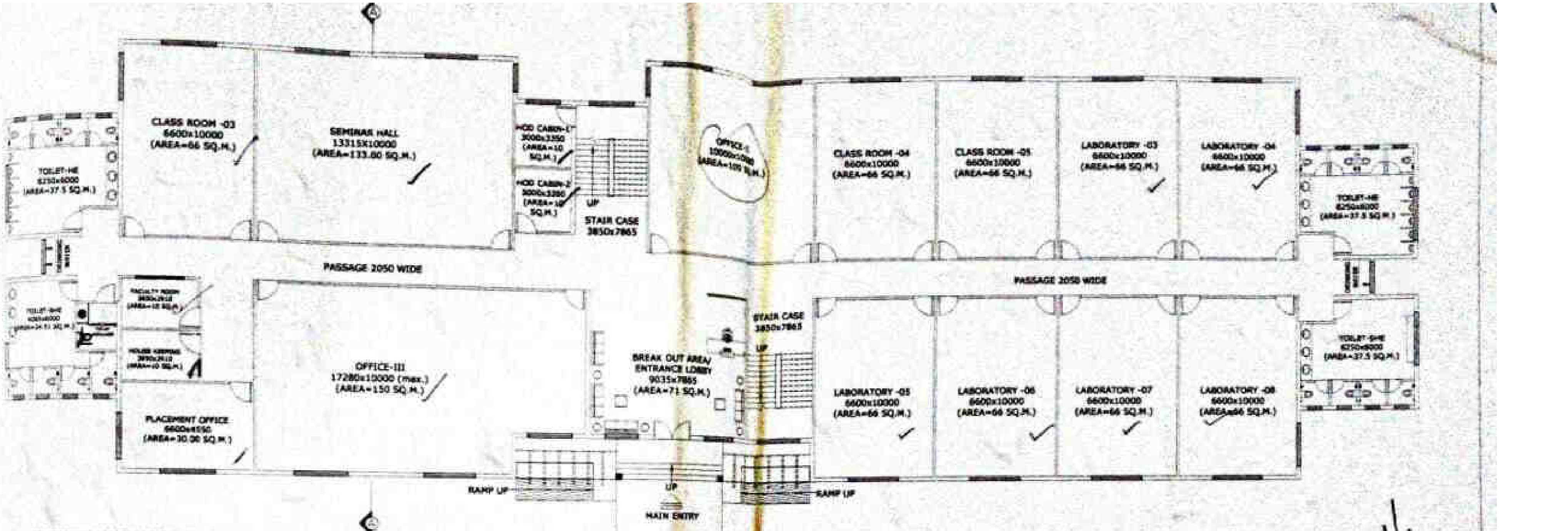

POLYTECHNIC ACADEMIC BLOCK-GROUND FLOOR LAYOUT PLAN (AREA-1660.00 SQ.M.)

U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

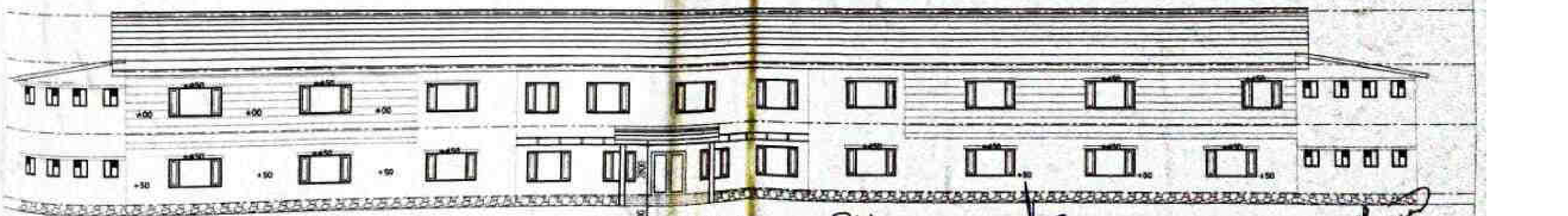

FRONT ELEVATION -A-A

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

चोपता

AMIT SHARMA
CA/96/20758

अभियन्ता
जिला पंचायत-रुद्रप्रयाग

GROUND FLOOR BUILT UP AREA = 1660.00 SQ.M.
FIRST FLOOR BUILT UP AREA = 1640.00 SQ.M.
TOTAL BUILT UP AREA = 3300.00 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS		
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC BUILDING - II GROUND FLOOR PLAN & ELEVATION (PHASE - II)	DATE: 12.01.2015 SCALE: NTS. DEALT: VIKRAM DESIGN: AMIT	EDIFICE 6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070	STAGE: CONCEPT	DRG. NO. CD-04

(4)

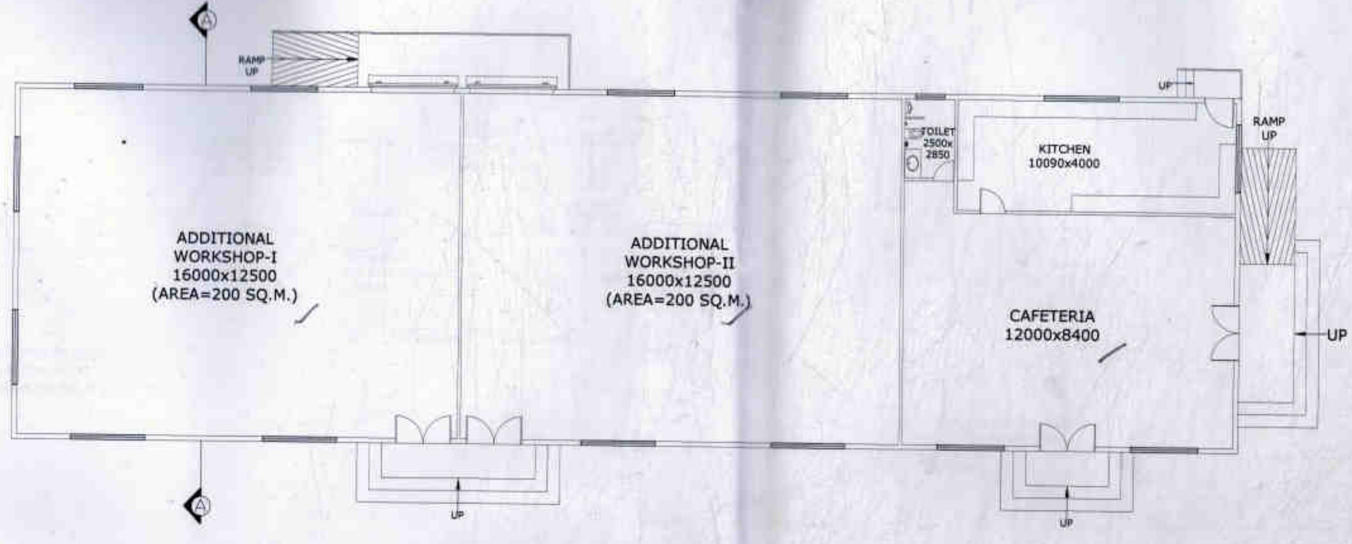

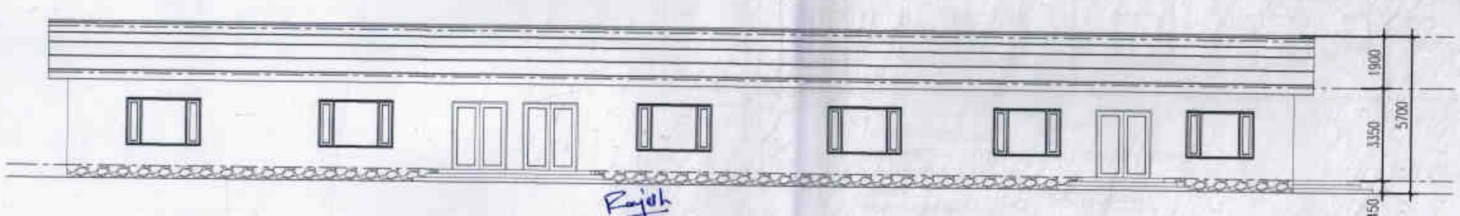

Rajesh
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ....चोपता......
विकास खण्ड– अगस्त्यमुनि
जनपद– रुद्रप्रयाग

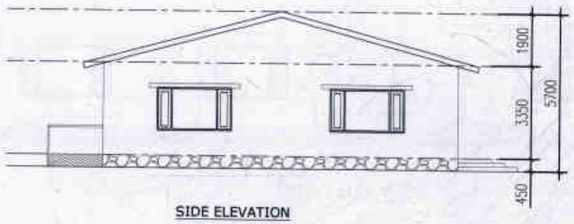

SIDE ELEVATION

SECTION-A-A

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

Addl. ... Manager
U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

AMIT SHARMA
CA/96/20758

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

TOTAL BUILT UP AREA =575 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS						
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	ADDITIONAL WORKSHOP - GROUND FLOOR PLAN & ELEVATIONS SECTION-A-A	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO.	DATE	DATE: 12.01.2015 SCALE: NTS. DEALT: VIKRAM DESIGN: AMIT	DESIGN ARCHITECTURE INTERIORS	EDIFICE 6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070 TELEPHONE:011-46066265 Email-amit@asanhitects.in	STAGE CONCEPT	DRG. NO. CD-06

(3)

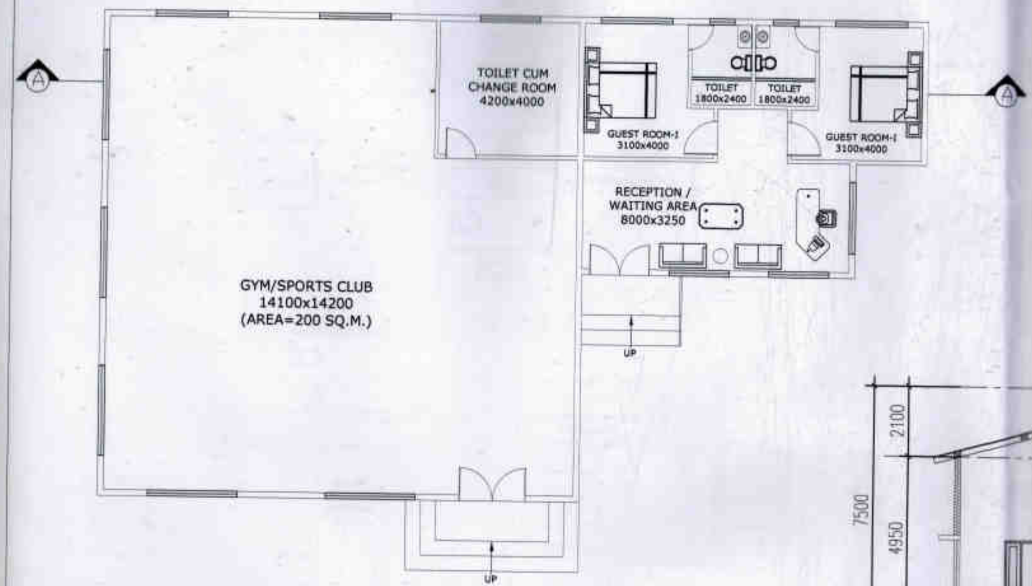

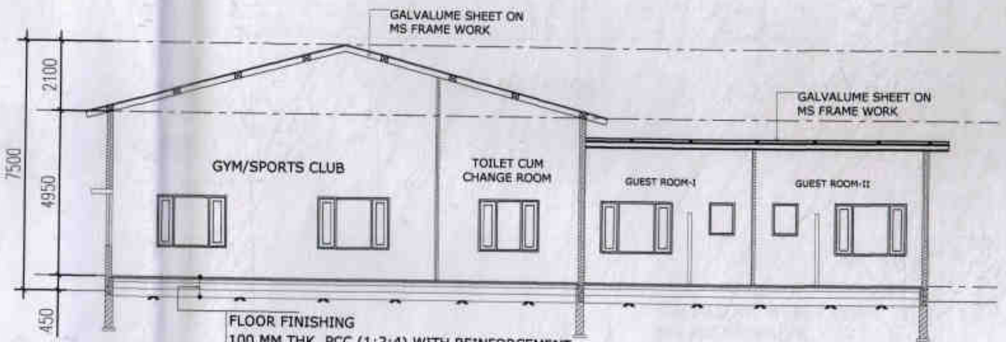

SECTION-A-A

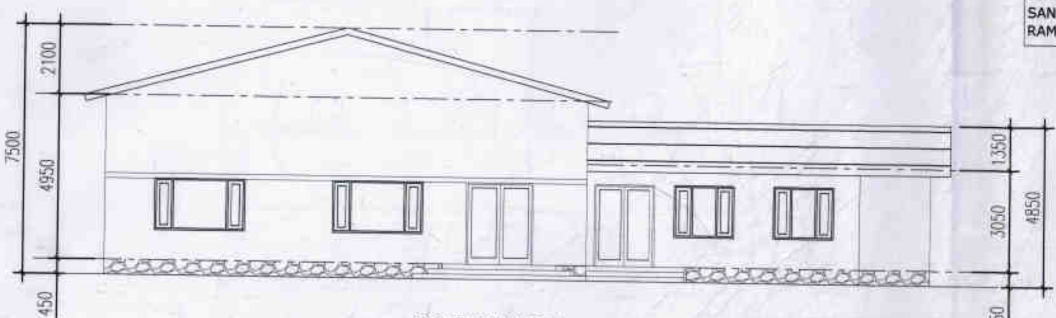

FRONT ELEVATION

GUEST HOUSE/ GYM/ SPORTS CLUB

Rajesh
... पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र चोपता
विकास खण्ड- अगस्त्यमुनि
जनपद- रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक च...
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

AMIT SHARMA
CA/96/20758

... Manager ... Ltd.
Dehradun Unit-1
Dehradun

अभियन्ता
... पंचायत रुद्रप्रयाग

TOTAL BUILT UP AREA =285 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS					
PROPOSED GUEST HOUSE/GYM/ SPORTS CLUB AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	LAYOUT PLAN GUEST HOUSE/GYM/SPORTS CLUB & ELEVATIONS SECTION	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO. / DATE	DATE: 12.01.2015 SCALE: NTS. DEALT: VIKRAM DESIGN: AMIT	DESIGN ARCHITECTURE INTERIORS	EDIFICE 6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070 TELEPHONE:011-46066265 EMAIL-amit@asarchitects.in	STAGE: CONCEPT DRG. NO. CD-07	

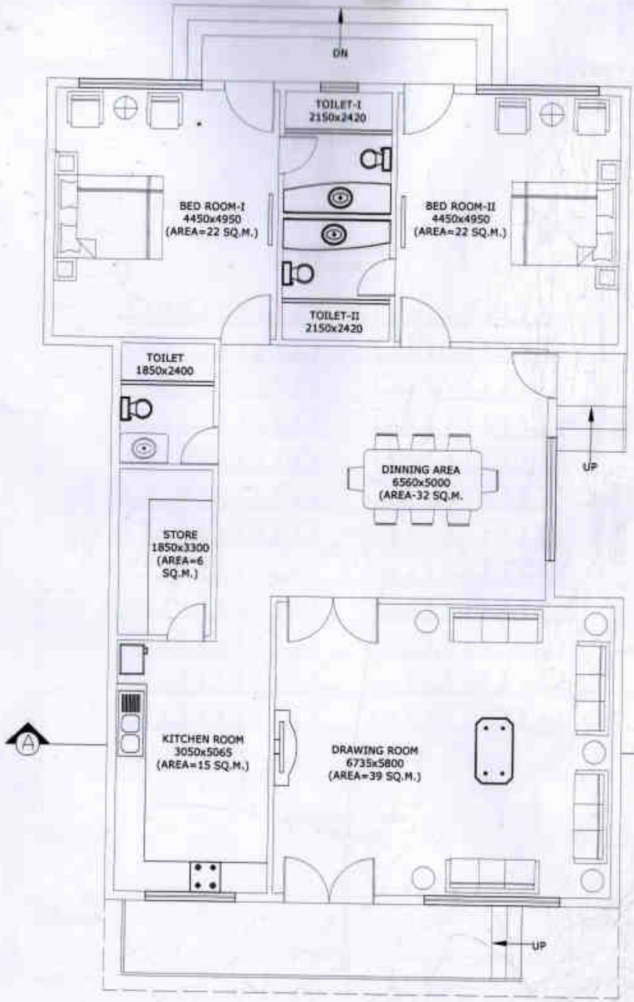

GROUND FLOOR PLAN

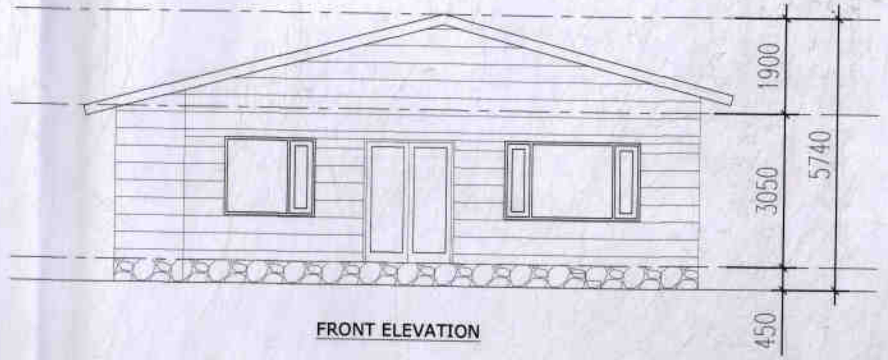

FRONT ELEVATION

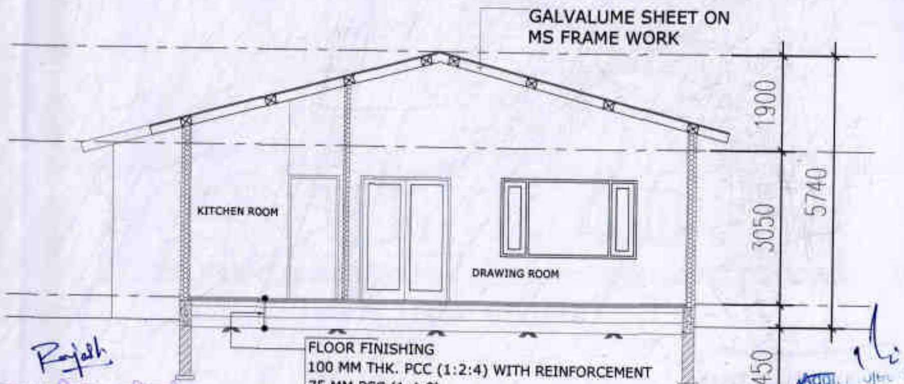

FLOOR FINISHING
100 MM THK. PCC (1:2:4) WITH REINFORCEMENT
75 MM PCC (1:4:8)
SAND
RAMMED EARTH

SECTION-A-A

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

AMIT SHARMA
CA/96/20758

अपर मुख्य अधिकारी / जिला पंचायत विकास अधिकारी
चोपता

अभियन्ता
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

Addl. Project Manager
U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

TOTAL BUILT UP AREA =170 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS		
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	PRINCIPAL QUARTER - LAYOUT PLAN, ELEVATION & SECTION-A-A (PHASE - II)	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO.	DATE	

DATE	12.01.2015	EDIFICE 6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070 TELEPHONE:011-46066285 EMAIL:amit@asarchitects.in	STAGE CONCEPT
SCALE	1:100		
DEALT	VIKRAM	DESIGN ARCHITECTURE INTERIORS	DRG. NO. CD-08
DESIGN	AMIT		

(1)

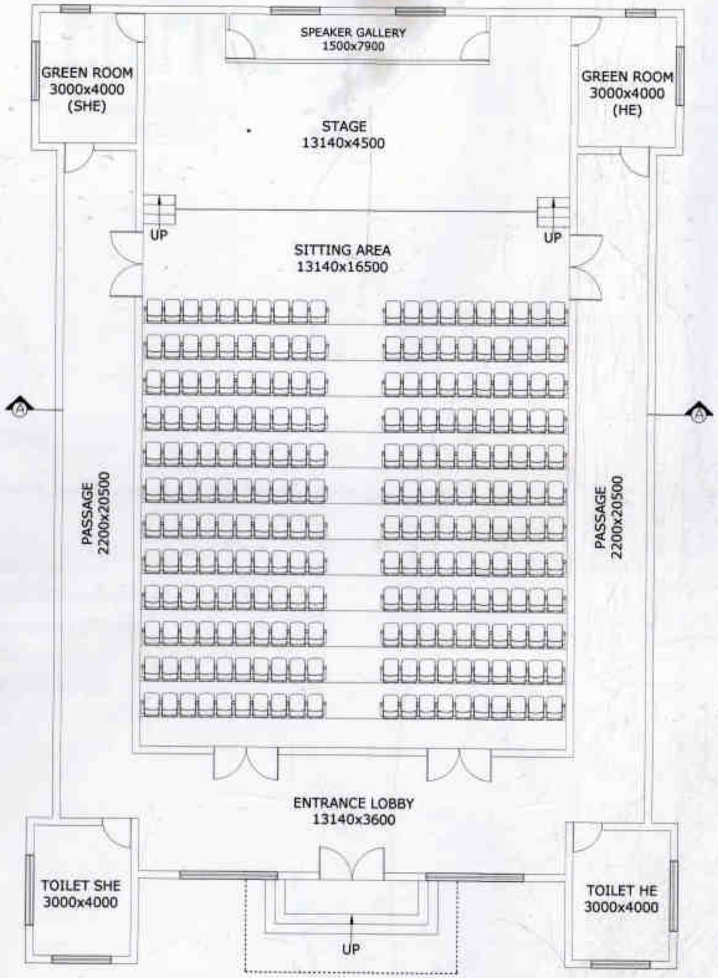

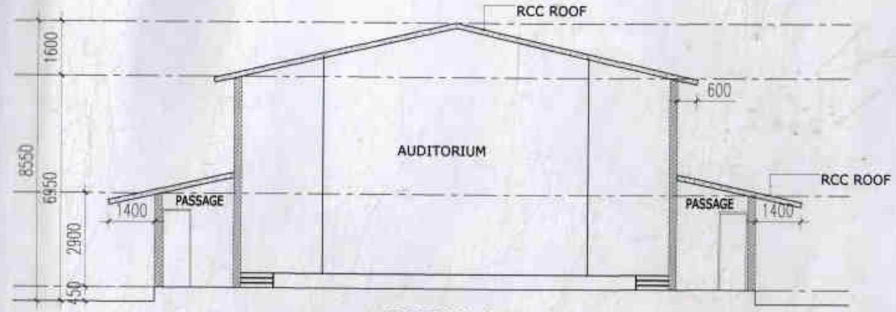

SECTION -A-A

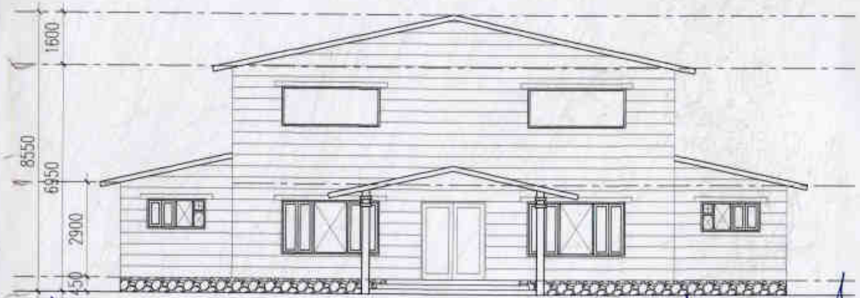

FRONT ELEVATION

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चो...
(रूद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

चोपता

अभियन्ता
जिला पंचायत रूद्रप्रयाग

AMIT SHARMA
CA/96/20758

Addl. ... Manager
U.P.R.N.N. Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

AUDITORIUM: SEATING CAPACITY- 240 MAX.

TOTAL BUILT UP AREA =525 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS		
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER LAYOUT PLAN, ELEVATION & SECTION-A-A (PHASE - II)	1. ALL DIMENSIONS IN MM UNLESS NOTED OTHERWISE. 2. ALL DIMENSIONS TO BE READ AND NOT MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO.	DATE	

DATE	12.01.2015	EDIFICE 6121/4 D-6 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070 TELEPHONE: 011-46068285 EMAIL-amit@asarchitects.in	STAGE CONCEPT
SCALE	1:150	DESIGN ARCHITECTURE INTERIORS	
DEALT	VIKRAM		DRG.NO. CD-09
DESIGN	AMIT		

संलग्नक (03)

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

कार्यालय उपवन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग ,रुद्रप्रयाग ।

पत्रांक :– 77/भूमि ह0/2022–23 दिनांक: 02 जून 2022

विषय :–जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पालीटेक्निक चोपता (कुण्डा दानकोट) रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तांतरण प्रस्ताव के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 4093/12–1(2) दिनांक 22 अप्रैल 2022 के अनुपालन में लगाई गई आपत्ति की कम संख्या 5 (पूर्व में किये गये निर्माण कार्य के सम्बन्ध) में विस्तृत आख्या बिन्दुवार तैयार कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित।

1. महोदय, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने अथवा करवाने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र संस्था स्तर से जारी नही किया गया था, एवं निर्माणकारी संस्था (उ0प्र0निर्माण निगम लि0) द्वारा Patch I (खसरा संख्या 4158) पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा भी बार–बार निर्माण एजेन्सी को पत्र लिखकर भूमि हस्तांतरण के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरु करने के लिए कहा गया था (साक्ष्य संलग्न) ।
2. महोदय, वनक्षेत्र अधिकारी, अगस्तयमुनि वनक्षेत्र के पत्रांक 260/12 दिनांक 23 अक्टूबर 2015 के द्वारा संस्था को बिना भूमि हस्तांतरण के निर्माण कार्य कराये जाने का स्पष्टीकरण मांगा गया एवं तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा निर्माण एंजेन्सी को पत्र लिखकर वनविभाग के द्वारा लगाये गये आपत्ति से अवगत कराया गया था एवं तत्काल ही निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया था।
3. वन विभाग के आपत्ति लगाने के कारण किसी अन्य भू–खण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया ।

संलग्नक:–

01– संस्था का पत्रांक 101/प्रशा0–निर्माण विषयक/2014–15 दिनांक 20 मार्च 2015।
02– संस्था का पत्रांक 139–A/प्रशा0/2015–16/दिनांक 12 मई 2015।
03– कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग का पत्रांक संख्या– 3217/छब्बीस–12 (12–13) दिनांक 14 मई 2015।
04– कार्यालय वन क्षेत्र अधिकारी अगस्तयमुनि वनक्षेत्र का पत्रांक 260/12 दिनांक 23 अक्टूबर 2015।
05– संस्था का पत्रांक 362/भूमि हस्तांतरण विषयक/2015–16 दिनांक 2 नवम्बर 2015।

भवदीय,

(तपन अरोड़ा)
समन्वयक / प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रेषकः– प्रधानाचार्य

राजकीय पालीटेक्निक चोपता

(रूद्रप्रयाग)

सेवा में,

प्रोजेक्ट मेनेजर

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0

यूनिट–1 देहरादून

पत्रॉकः– 101 / प्रशा0– निर्माण विषयक /2014–15/दिनॉक 20/3/2015

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि नवसृजित राजकीय पालीटेक्निक चोपता प्रस्तावित भूखाण्डों पर आप द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जबकि प्रस्तावित भूमि अभी संस्था को हस्तान्तरित नही हो पायी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जब तक संस्था को भूमि हस्तान्तरित न हो जाय तब तक निर्माण कार्य स्थगित रखें ।

प्रतिलिपिः– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)

(ए0के0एस0गौड)

प्रधानाचार्य

राजकीय पालीटेक्निक चोपता

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

O/C

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक चोपता

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर
(गढ़वाल)

पत्रांक 139-A / प्रशा0 / 2015-16 / दिनॉक 12/5/2015

विषयः-निर्माण कार्य विषयक।

महोदय,

आपके पत्रांक 23/नि0प्रा0शि0/समीक्षा-बैठक/2015-16, दिनॉक 02/05/2015 के अनुपालन मे अवगत कराना है कि वर्तमान में नवसृजित राजकीय पालीटेक्निक चोपता भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अभी विभाग के नाम पर हस्तान्तरित नहीं हुई है। संस्था स्तर पर भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रगतिशील है।

आपके पत्रांक 2532-33/नि0प्रा0शि0/लेखा / बैंक ड्राफ्ट/2014-15,दिनॉक 23 जनवरी 2015 के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा जो धनराशि भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 निर्माण लि0 देहरादून यूनिट-1 को निर्गत की गयी थी उस धनराशि से प्रस्तावित भूमि पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्माण यूनिट द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्राविधानों के अनुसार Approved lay out plan &Complete Building plan उपलब्ध नही कराया गया है।

महोदय से निवेदन है कि निर्माण यूनिट (उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 देहरादून) को निर्देशित करने का कष्ट करे कि वह अद्योहस्ताक्षरी को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्राविधानों के अनुसार Approved lay out plan &Complete Building plan उपलब्ध कराये ताकि उपरोक्त प्लानों का गहनता से परीक्षण किया जा सके।

प्रधानाचार्य
एन0के0एस0 नौटियाल
राजकीय पालीटेक्निक चोपता
प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

पत्रांक 139-B/ प्रशा0 / 2015-16/ दिनॉक 12/5/2015

प्रतिलिपिः- प्रोजेक्ट मेनेजर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 यूनिट-1 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रधानाचार्य
एन0के0एस0 नौटियाल
राजकीय प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

284
15/5/15

15/5/2015

कार्यालय जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या– 3217/छब्बीस–12 (12–13) दिनांक, रूद्रप्रयाग, मई 14, 2015

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः– **स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–138/2015–16 दिनांक 12–05–2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयनित करते हुये भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव 03 प्रतियों में प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम कुण्डादानकोट राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र चोपता जाखणी तहसील व जनपद रूद्रप्रयाग के ज0 वि0 र0 ख0 खा0 सं0–36 खसरा नं0–3319 मध्ये 0.700 है0, खसरा नं0–4059 मध्ये 0.800 है0 तथा खसरा नं0–4158 मध्ये 0.400 श्रेणी 9 (ख) 2 अन्य प्रकार के बृक्ष झाडियों के समूह व लम्बी घास भूमि कुल रकवा 1.900 है0 चयनित की गई है। ग्राम कुण्डादानकोट की उक्त ज0वि0र0खतौनी में चयनित भूमि को जंगल (उ0प्र0स0) प्रदर्शित किया गया है तथा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि में 10 से 70 सेमी0 गोलाई के 09 पेड चीड के तथा 10 से 40 सेमी0 गोलाई के 02 पेड सुरई के स्थित होने पाये गये हैं, जिस पर कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होते हैं।

शासनादेश संख्या–883 (1)/X-3-2011 दिनांक 03 अक्टूबर 2011 के द्वारा ऐसी भूमि के वह भाग जिस पर वन हो पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान व मा0 उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश लागू रहेंगे। वन उस भूमि को माना जायेगा वह समस्त भूमि, जो शब्द कोष के अनुसार वन है, सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज है अथवा वन के रूप में मान्यता प्राप्त है, चाहे उक्त पर सरकार का स्वामित्व हो या निजी व्यक्ति का, वन मानी जायेगी और उसके किसी भी गैर वानिकी प्रयोग से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

अतः उक्त चयनित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधान लागू होने से तैयार किये गये प्रस्ताव मूलरूप में इस आशय के साथ वापस प्रेषित किये जा रहे हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र/प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के कार्यालय से तैयार करवाते हुये सम्पूर्ण औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव की प्रतियां जिलाधिकारी महोदय के प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– प्रस्ताव की 03 प्रतियां

14

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी जखोली? वन क्षेत्र

पत्रांक 260 /12 दिनांक 23-10-2015

सेवा में,

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता

रुद्रप्रयाग

विषय - बिना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण.

महोदय,

आप द्वारा बिना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है. आप द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है. जबकि निर्माण कार्य को इस रात्रि के वन दरोगा श्री राजेन्द्र सिंह नेगी द्वारा भी रोका गया था, परन्तु फिर भी आपने निर्माण कार्य बिना भूमि हस्तान्तरण के किया जा रहा है।

अत: आप स्पष्ट करें कि आप द्वारा वन पंचायत भूमि पर बिना पूर्व स्वीकृति के क्यों भवन निर्माण कार्य किया गया है

वन क्षेत्राधिकारी
जखोली

प्रतिलिपि - श्रीमान उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

वन क्षेत्राधिकारी
जखोली

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग)

सेवा में ,

प्रोजेक्ट मेनेजर
उ0प्र0 निर्माण निगम लि0
यूनिट –1 देहरादून

पत्रांक 362/ भूमि हस्तान्तरण विषयक/ 2015–16/ दिनांक 2/11/15

विषय– विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य रोके जाने विषयक ।

महोदय,

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र के **पत्रांक 260/12 दिनांक 23/10/2015**(पत्र की फोटो प्रति संलग्नक) के अनुपालन में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तावित भूमि पर भूमि हस्तान्तरण से पूर्व भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जो कि वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लघन है पूर्व मे भी आपको कार्यालय राजकीय पालिटेक्निक चोपता के **पत्रांक संख्या 341/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015–16/दिनांक 7/10/2015** द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

अतः प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य तुरन्त रोक दिया जाये तथा प्रस्तावित भूमि विभाग को हस्तान्तरित होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये ।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार ।

प्रधानाचार्य
(अनुराग नैथानी)
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

पृ0सं0 363/ भूमि हस्तान्तरण विषयक/ 2015–16/ दिनांक 2/11/15

प्रतिलिपि – निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ ।

प्रधानाचार्य
(अनुराग नैथानी)
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

O/C

डिजिटल मैपः–संस्था राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु चयनित स्थल (कुल क्षेत्रफल 2.00 है0)

N

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

SOI Toposheet No: 53 N /03

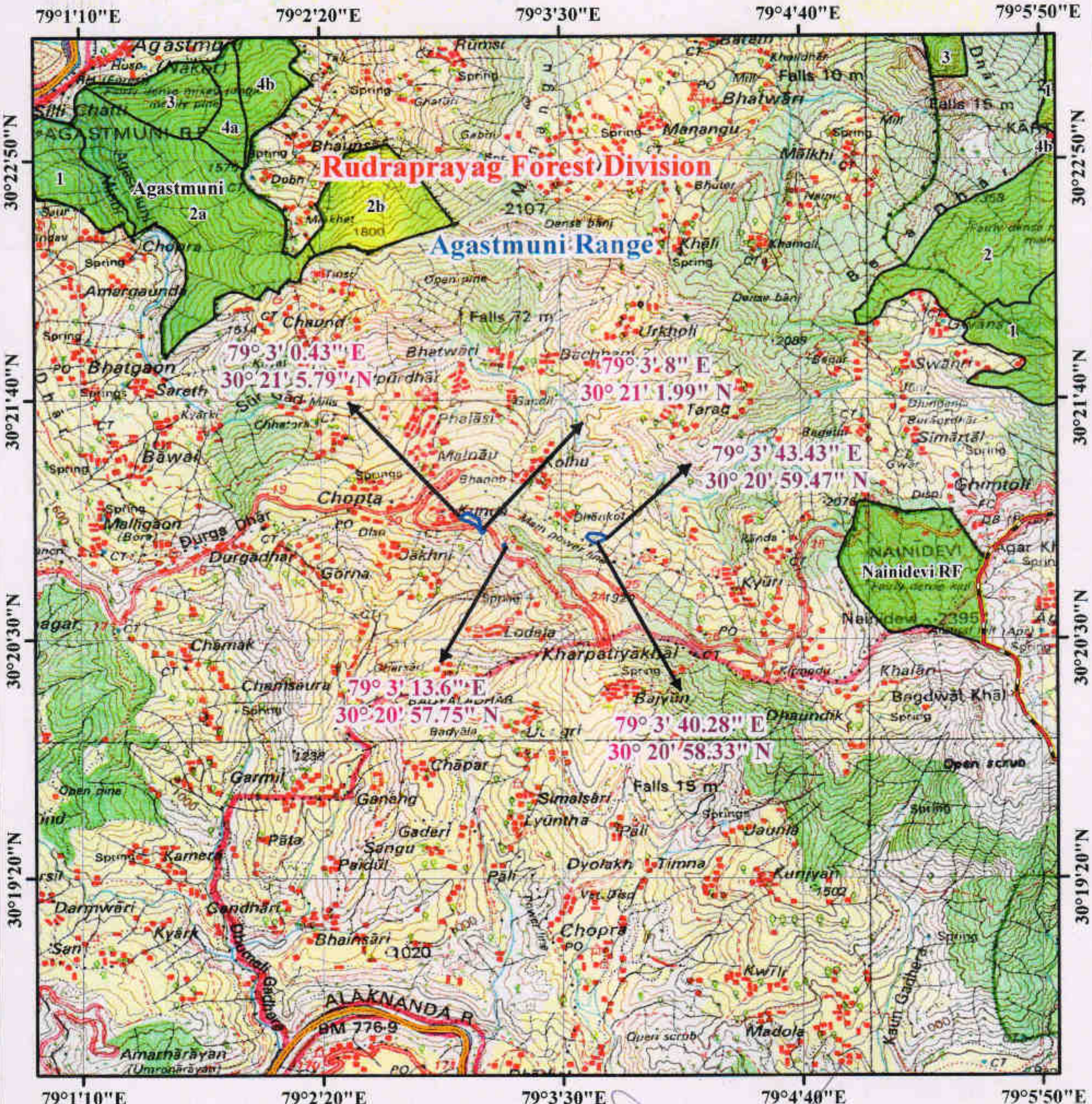

Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed Site

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रूद्रप्रयाग

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जियोरेफरेन्स मैपः– संस्था राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु चयनित स्थल (कुल क्षेत्रफल 2.00 है0)

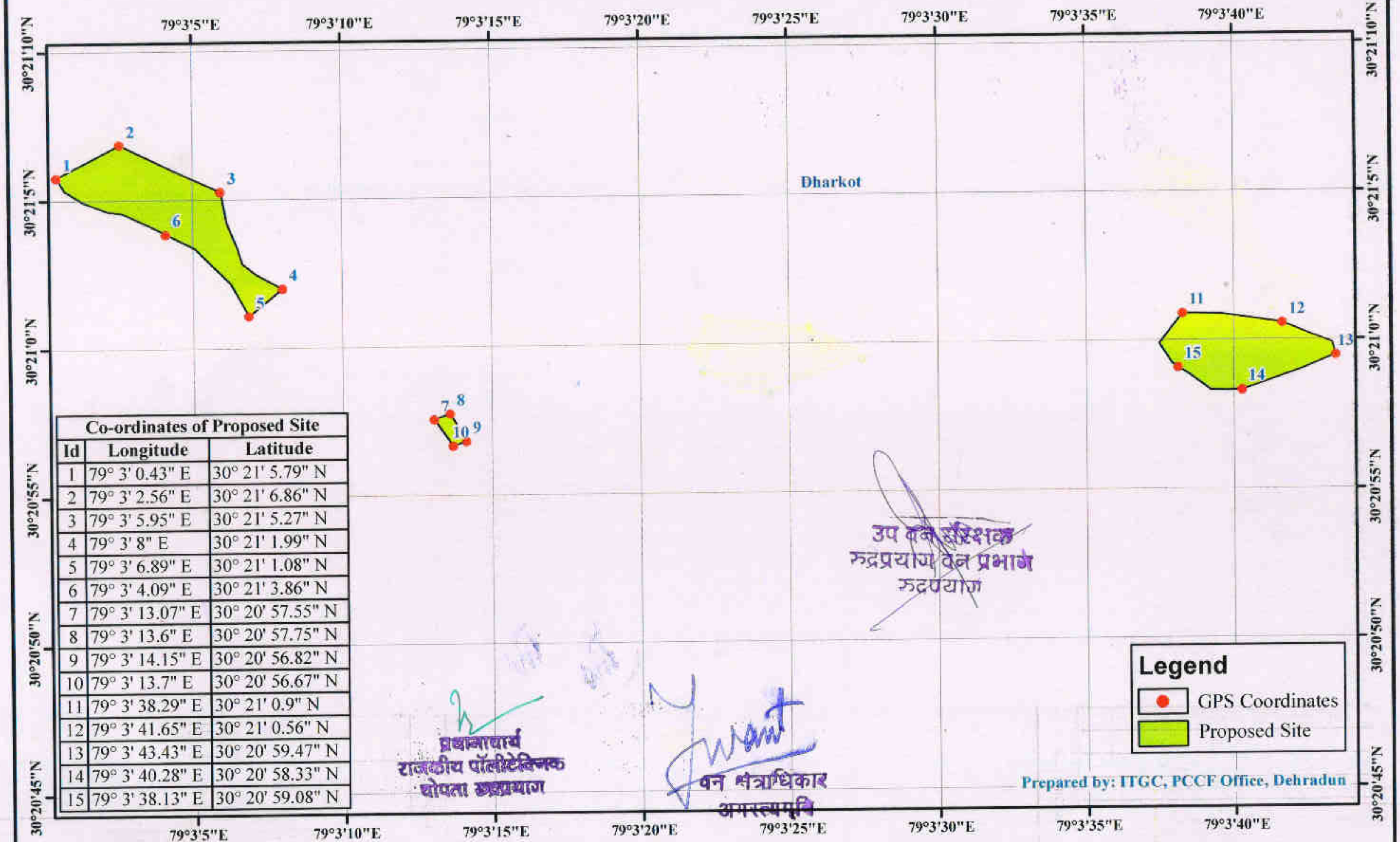

Co-ordinates of Proposed Site

Id	Longitude	Latitude
1	79° 3' 0.43" E	30° 21' 5.79" N
2	79° 3' 2.56" E	30° 21' 6.86" N
3	79° 3' 5.95" E	30° 21' 5.27" N
4	79° 3' 8" E	30° 21' 1.99" N
5	79° 3' 6.89" E	30° 21' 1.08" N
6	79° 3' 4.09" E	30° 21' 3.86" N
7	79° 3' 13.07" E	30° 20' 57.55" N
8	79° 3' 13.6" E	30° 20' 57.75" N
9	79° 3' 14.15" E	30° 20' 56.82" N
10	79° 3' 13.7" E	30° 20' 56.67" N
11	79° 3' 38.29" E	30° 21' 0.9" N
12	79° 3' 41.65" E	30° 21' 0.56" N
13	79° 3' 43.43" E	30° 20' 59.47" N
14	79° 3' 40.28" E	30° 20' 58.33" N
15	79° 3' 38.13" E	30° 20' 59.08" N

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

(75)

COMPONENT WISE LAYOUT PLAN

Proposed Land Area (2.0 Hect.) For Govt. Polytechnic Chopta, Rudraprayag

	AREA CHART		
	PATCH NO 01-		
		SQ.M.	Hect.
1.	Total Building-I (Phase-I) Area	1120	0.1120
2.	Auditorium/Amphitheatre Area	525	0.0525
3.	Additional Workshop Area	575	0.0575
4.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	8780	0.8780
	TOTAL AREA	**11000**	**1.10**
	PATCH NO 02-		
1.	Guest House & Sport Club/Gym Area	285	0.0285
2.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	115	0.0115
	TOTAL AREA	**400**	**0.04**
	PATCH NO 03-		
1.	Total Building-II(Phase-I) Area	1660	0.1660
2.	Principal Quarter Area	170	0.0170
3.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	6770	0.6770
	TOTAL AREA	**8600**	**0.860**
	TOTAL AREA (PATCH 1+2+3)	**20000**	**2.00**

Principal
Govt. Polytechnic Chopta

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

Component wise Breakup

Component wise breakup			
S.No	**Component**	**Forest Land (ha.)**	**Non-Forest Land (ha.)**
1	BUILDING -I PHASE-I	0.112	0
2	BUILDING-II PHASE-II	0.166	0
3	AUDITORIUM	0.0525	0
4	PRINCIPAL QUARTER PHASE-II	0.017	0
5	GUEST HOUSE & SPORT CLUB	0.0285	0
6	ADDITIONAL WORKSHOP & CAFETERIA	0.0575	0
7	GARDEN , PLAYGROUND, INTERNAL ROAD,SURPLUS AREA et	1.5665	0
Total		**2**	**0**

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
घोपता रूद्रप्रयाग

231

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या– 790 /XLI-1/2013–79/13

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 22 अगस्त, 2013

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संस्थान ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार 15 दिन के भीतर भूमि, भवन, पाठ्यक्रम एवं पदों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अतः सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।
4. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

(8) राजकीय पालीटेक्निक चोपता,रुद्रप्रयाग–

स्वीकृत पाठ्यक्रमों के नाम–

1. सिविल इंजीनियरिंग तीन वर्षीय 2. फार्मेसी दो वर्षीय

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान / ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–7600	1
2	विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–6600	1
3	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–6600	1
4	व्याख्याता, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–5400	3
5	व्याख्याता, फार्मेसी	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–5400	5
6	व्याख्याता,गणित	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–5400	1
7	व्याख्याता,भौतिकी	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–5400	1
8	व्याख्याता,रसायन	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–5400	1
9	व्याख्याता अंग्रेजी	₹15600–39100,ग्रेडवेतन–5400	1
10	कर्मशाला अनुदेशक	₹9300–34800, ग्रेडवेतन–4200	5
11	प्रधान सहायक	₹9300–34800, ग्रेडवेतन–4200	1
12	वैयक्तिक सहायक	₹5200–20200, ग्रेडवेतन–2800	1
13	पुस्तकालयाध्यक्ष	₹5200–20200, ग्रेडवेतन–2800	1

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान / ग्रेड वेतन	सृजित पद की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
14	वरिष्ठ सहायक	₹5200–20200, ग्रेडवेतन–2800	1
15	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	₹5200–20200, ग्रेडवेतन–2800	1
16	सहायक लेखाकार	₹5200–20200, ग्रेडवेतन–2800	1
17	कनिष्ठ सहायक	₹5200–20200, ग्रेडवेतन–2000	2
18	चपरासी	(आउट सोर्स)	2
19	स्वीपर,पार्ट टाइम	(आउट सोर्स)	1
		योग–	29

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधान सभा अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00 हे0 सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुदप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण –पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत राजकीय पालीटेक्निक चोपता–रुद्रप्रयाग (X हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, X हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल: 02 हे0 सिविल भूमि) का राजकीय पालीटेक्निक चोपता तकनीकी शिक्षा विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु ~~अनुसचिव~~ (उत्तराखण्ड)/ प्रयोक्ता एजेन्सी की पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक–28/02/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार सिमित की बैठक श्रीमति अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1– श्रीमति अपर्णा ढौंडियाल उपजिलाधिकारी——————————अध्यक्ष उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
2– श्री ~~[illegible]~~ ~~उप प्रभागीय वनाधिकारी~~—————— सदस्य
3– श्री धीरज बडोला सहायक समाज कल्याण अधिकारी—————— सदस्य/ सचिव
4– श्री मति रजनी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कुण्डा दानकोट —————— सदस्य

रजनी देवी क्षेत्र पंचायत वार्ड 18 कुण्डा दानकोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। कि केदरानाथ विधानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता की स्थापना परियोजना हेतु 2.00हे0 ~~वन~~ सिविल भूमि राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है ।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी,रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड अगस्त्यमुनि

105

किया गया है । इस संबंध मे ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी कि जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है ।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता कुण्डा दानकोट परियोजना के निर्माण हेतु 2.00है0 ~~वन~~/भूमि (सिविल) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

दिनांक :- 28/02/2022

राज इ० नि०
चोपता

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि–: जिलाधिकारी, महोदय रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

दिनांक :- 28/02/2022

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

राज इ० नि०
चोपता

Annexure-I
Form-I
(For Non linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No...03............ Dated..21/3/2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2003 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of non linear projects, it is certified that 2.00 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Govt, Polytechnic Chopta, Rudraprayag/Technical Education for the Construction of Govt. Polytechnic Chopta, in Rudraprayag District falls within jurisdiction of Kunda Dankot village in Rudraprayag Tehsil. It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-23 to annexure-23.3
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3, (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature
जिला अधिकारी
(Full name and official seal of the District Collector)

Annexure-II
Form-II
(For Non linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No..03............ Dated.21/03/2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.00 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Govt, Polytechnic Chopta, Rudraprayag for the Construction of Govt. Polytechnic Chopta, Rudraprayag District falls within jurisdiction of Kunda Dankot village in Rudraprayag Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records off all consultation and meetings of the forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-23 to annexure-23.3

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Kunda Dankot(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23.2.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- RUDRAPRAYAG (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Manuj Goyal I.A.S. deputy commissioner, Rudraprayag on dated 02-03-2022 at time 11:00AM at Rudraprayag in which application claiming rights in 20000 Sq. Meter/area measuring 2.00 hectares for the Construction of Govt. Polytechnic Chopta Building. Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Augustyamuni (Kunda Dankot village) sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place...Rudraprayag........

Dated..02/03/2022........

Deputy Commissioner cum Chairman
District Level Committee

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नाम:– जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00है0 भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00है0 भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव परियोजना के निर्माण हेतु 2.00है0 वन भूमि राजकीय पालीटेक्निक चोपता प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अगस्त्यमुनि तथा संबन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है । वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसुचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है ।

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

सडक निर्माण, नहर निर्माण,पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है । उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नही किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा ।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विद्यान सभा अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00 हे0 सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुदप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण –पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक चोपता रुद्रप्रयाग (X हे0 आरिक्षित वन भूमि, 2.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, X हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 02 हे0 सिविल भूमि) का राजकीय पालीटेक्निक चोपता तकनीकी शिक्षा विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु ~~अनुसचित~~ (उत्तराखण्ड)/ प्रयोक्ता एजेन्सी की पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 28/02/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार सिमित की बैठक श्रीमति अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1– श्रीमति अपर्णा ढौंडियाल उपजिलाधिकारी———————— अध्यक्ष उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग

2– श्री ~~मदन सिंह~~ ~~उप प्रभागीय वनाधिकारी~~———————— सदस्य

3– श्री धीरज बुटोला सहायक समाज कल्याण अधिकारी———— सदस्य/ सचिव

4– श्री मति रजनी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कुण्डा दानकोट ———————— सदस्य

रजनी देवी सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 18 कुण्डा दानकोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। कि केदरानाथ विद्यानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता की स्थापना परियोजना हेतु 2.00हे0 ~~वन~~ सिविल भूमि राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है ।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी,रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड अगस्त्यमुनि

किया गया है । इस संबंध मे ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी कि जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है ।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता कुण्डा दानकोट परियोजना के निर्माण हेतु 2.00हे0 ~~वन~~/भूमि (सिविल) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

दिनांक :- 28/02/2022

प्रधानाचार्य
रा० इ० नि०
चोपता

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि–: जिलाधिकारी, महोदय रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

दिनांक :- 28/02/2022

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
रा० इ० नि०
चोपता

(113)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम:–जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (कुण्डादानकोट)में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00हे0 सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – कुण्डादानकोट
तहसील– रुद्रप्रयाग, जिला– रुद्रप्रयाग
अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्र्तगत राजकीय पालीटेक्निक परियोजना के निर्माण हेतु (X हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.00हे0 सिविल सोयम भूमि, X हे0 वन पंचायत भूमि X हे0) अर्थात कुल 2.00हे0 सिविल भूमि का राजकीय पालीटेक्निक चोपता तकनीकी शिक्षा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवदेन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्डादानकोट द्वारा दिनांक 24/02/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचयात की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित सिविल भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट द्वारा किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त सिविल भूमि राजकीय पालीटेक्निक चोपता प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है । प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है ।

Rajesh
23/3/22
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0/– क्षेत्र– चोपता
ग्राम सचिव विकास खण्ड– अगस्त्यमुनि
जनपद– रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डा दानकोट
ह0
दि0 23/03/22
वि0 ख0 अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र –23.1

दिनांक 24/02/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – कुण्डादानकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	Ashish Rawat	Ashish
(2)	परमेन्द्र सिंह बर्त्वाल	[illegible]
(3)	सुन्दरलाल	[illegible]
(4)	मोहन लाल	[illegible]
(5)	Surendra lal	[illegible]
(6)	पप्पू लाल	पप्पू लाल
(7)	Sudarshan Lal.	Lal.
(8)	दिनेश कुडियाल	[illegible]
9	रामचन्द्र कोण्डवाल	[illegible]
10	Lalit Mohan	[illegible]
11	शोभाराम कुनियाल	[illegible]
12 –	वीरेन्द्र कण्डवाल	[illegible]
13	Bhupendra Rawat	[illegible]
14	मनवरसिंह	[illegible]
15 –	बीना देवी	दि0 बीना देवी ह0 24/2/22

(मोहर: ग्राम पंचायत ग्राम कुण्डा दानकोट, जिला–रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड))

ह0 /–
ग्राम प्रधान

(मोहर: प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डा दानकोट, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग — ह0 [illegible] दि0 24/2/22)

परियोजना का नामः– जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 0.2 है0 भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-गोरणा स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

नोटः– उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रेषक,

तहसीलदार,
रूद्रप्रयाग

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

द्वारा उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

संख्या– ९७8 / र०का०– 2021–22 दिनांक रूद्रप्रयाग, अगस्त 27, 2021

महोदय,

अपर जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या 4054 / छब्बीस–24 / 2018–19 दिनांक रूद्रप्रयाग जून 04, 2021 के कम में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रूद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु 2.00 हे0 भूमि के एवज में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था। पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 4338 / छब्बीस–24 / 2018–19 दिनांक 09 जुलाई 2019 का निरस्त करते हुये शासनादेश संख्या 2173 / XCIII (II) / 2012–18 (120) / 2021 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9–3 (ख)(2) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूहो) खाता सं0 10 जंगल के खसरा न0–02, रकवा 4.951 हे0 मध्ये 4.000 हे0 एवं खसरा सं0–271, रक्वा 5.550 हे0 मध्ये 4.000 हे0 कुल रकवा 8.000 हे0 भूमि को उपवन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित / नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुपालन क्रम में सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक चोपता से अमलदरामद करवा कर नकल खतौनी अभिलेख हेतु सेवामें प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय

तहसीलदार,
रूद्रप्रयाग।

S.T.

R.K.LETTER RPG

(ब्राम) आपट क्र. 1172 दिनांक 13/9/21

(10)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

पंत्राक संख्याः–390 / वै0सहा0 / विविध–2020 / 21 दिनांक 06 सितम्बर, 2021

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,
रूद्रप्रयाग।

विषय– **जनपद रूद्रप्रयाग में रा0पा0 चोपता रूद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तांतरण प्रस्ताव (संख्या– FP/UK/Others/44711/2020) के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्र संख्या– 44 / भूमि हस्तांतरण / 2021–22 दिनांक 09 जून 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रूद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु 2.00 है0 भूमि के एवज में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तांतरित उपरान्त अमल दरामद करने की याचना की गयी।

उक्त के क्रम मे तहसीलदार रूद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या–978 / र0का0–2021–22 दिनांक 27 अगस्त 2021 में उल्लेख किया गया है कि, पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 4338 / छब्बीस–24 / 2018–19 दिनांक 09 जुलाई 2019 का निरस्त करते हुये, शासनादेश संख्या 2173 / XCIII (II) /2012-18 (120)/2021 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9–3 (ख) (2) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूहों) खाता संख्या 10 जंगल के खसरा न0–02, रकवा 4.951 है0 मध्ये 4.000 है0 एवं खसरा सं0–271, रक्वा 5.550 है0 मध्ये, 4.000 है0 कुल रकवा 8.000 है0 भूमि को उपवन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित / नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति के क्रम में अभिलेखों में अमलदरामद किया गया, जिसकी नकल, खतौनी अभिलेख संलग्न हैं।

अतः तहसीलदार रूद्रप्रयाग की आख्या मूल में संलग्न कर प्रेषित।

<u>संलग्न–यथोक्त।</u>

(जय किशन)
आई0ए0एस0
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः–1. जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Sh. Sumit ji/
Land Transfer Problem Building
?

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील रूद्रप्रयाग
जनपद रूद्रप्रयाग।

महोदय,

राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (रूद्रप्रयाग) के निर्माण हेतु हस्तांतरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्य हेतु 2.00 है० भूमि के एवज मे दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था, महोदय मुताबिक आदेश सं० 2173/XVIII (II)/2012-18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनाँक 17 दिसंबर, 2012 के क्रम में उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम गोरणा की ज० वि० र० खतौनी की श्रेणी 9-3(ख)(2) (जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूहों) खाता सं० 10 जंगल के खसरा नं०-02, रकबा 4.951 है० मध्ये 4.000 है० एवं खसरा सं०-271, रकबा 5.550 है० मध्ये 4.000 है० कुल रकबा 8.000 है० भूमि को उपवन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामान्तरित एवं अमलदरामद किया गया है, नकल ज० वि० र० खतौनी संलग्न है।

D.S.I
लोपक्षणवर्ती
26.06.2021

RK

नकल Non Z. A खतौनी

ग्राम गौरणा स० पु०नि० क्षेत्र - चौपता जाखणी तहसील रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12 क रावड़
	श्रेणी 9 (ख) 2. जिसमें अन्य प्रकार के पेड़ वृक्ष व झाड़ियों के समूह हों :—										
10 –	जंगल.	2	4.951	औड़ेखुनी ढुंगाधार	श्रीमान् मुताबिक आदेश उपायुक्त महोदय चमोली के खेत नं० 2 में से 0.010 हे० (7) नाली जमीन श्री मदनसिंह पुत्र केशर के नाम मखूल दर्ज किया, ह० अ० पटवारी चौपता जाखणी 2.3.1958						
		243	2.663	ढुंगाधार							
		271	4.556	देवीधार	महोदय श्रीमान् आयुक्त महोदय						
				ड्रांड	जोशीमठ – चमोली के नम्बर 6 (4) 23 दि० 9-12.60 के अनुसार खसरा नं० 2						
		385	0.260		मध्ये (9 = नाली) 0.023 है० 6.50 रुपया						
				डोल	सालाना रेट पर श्री मनवरसिंह रणजीत						
		521	5.410		सिंह पुत्र श्री फतेसिंह कमलसिंह पुत्र						
				पिलखुली	केशरसिंह, कलमसिंह पुत्र ज्ञानसिंह						
		1324	1.590		के नाम अमल दरामद किया. ह० अ० पटवारी चौपता जाखणी. 7.4						
				गिरधा							
		1356	0.133								
		7	15.680		मुताबिक आदेश श्रीमान् उपायुक्त 21-4 महोदय चमोली के नियमितीकरण आदेश सं० 342 (81-82) दि० 5-4-1982 के अनुसार गौरणा घल खेत सं० 2 में से 9 = नाली 0.026 हे० भूमि नियमितीकरण के अन्तर्गत मदनसिंह पुत्र केशरसिंह के नाम पर अमल दरामद किया. ह० अ० पटवारी चौपता जाखणी						

मुताबिक शासनादेश सं० 2173 / XVIII (II) /
2012-18 (120) / 2010 राजस्व अनुभाग-2 दि० 17 दिसम्बर
2012 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित
राजस्व ग्राम गौरणा की जे० जी० रु० खतौनी की श्रेणी 9 ख (2)
(जिसमें अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष झाड़ी आदि के समूह हैं) खाता सं० 10
के खसरा नं० 2 रकबा 4.951 हे० मध्ये 4.000 हे० एवं खसरा सं० 271 रकबा
5.550 हे० मध्ये 4.000 हे० कुल रकबा 8.000 हे० भूमि को पुनः वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु
हस्तान्तरित / नामान्तरित हेतु अमल दरामद किया गया। [signature]

R.S.I
चोपताजाखणी
26.6.2021

103

एम0ओ0यू0 / अन्डरटेकिंग

परियोजना का नाम:–जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात् 2.00 है0 भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–790 / XLI-1/2013-79/13 द्वारा स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली 2.00 है0 वन भूमि के चार गुने अवतन अर्थात् 8.00 है0 (दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु) वन पंचायत भूमि जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में वर्णित है, में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र0 स0	खसरा न0	कुल रकवा (है0)	अर्जित रकवा (है0)	खाता खतौनी सं0	भूमिधर का नाम	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	2	4.951	4.00	10	उ0 सरकार	अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूह
2	271	5.550	4.00	10	उ0 सरकार	अन्य प्रकार के पेड़, वृक्ष आदि के समूह
योग :–		10.501	8.00	चयनित स्थल – राजस्व ग्राम– गौरणा		

ह0
प्रयोक्ता एजेंसी

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

A. S. Bartwal 23.8.2021
R.S.I – चोपता जाखणी
Sarcile ... R.P.G.
Thausheel ...

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
(तहसीलदार ऊखीमठ)
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय की धनराशि का विवरण

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम – गोरणा सिविल

क्षेत्रफल (है0 में) **8.00**

1– प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य

क्र0 सं0	कार्य विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति	कुल व्यय
1	सर्वे एवं सीमांकन	है0	168.00	1344.000
2	स्थल सफाई कार्य	है0	1682.00	13456.000
3	दीवालबन्दी कार्य	है0	48000.00	384000.000
4	गढ्ढे खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति है0 1100 गढ्ढे)	प्रति गढ्ढा	11.00	96800.000
5	कन्टूर नाली का सीमांकन 235 र0मी0 प्रति है0	र0मी0	1.30	2444.000
6	कन्टूर नाली खोदना व ड्रैसिंग 0.45X0.30 मी0	र0मी0	92.00	172960.000
7	घास स्लिप प्रति है0	1500 स्लिप्स	160.00	19200.000
8	पौधों की कीमत (एक वर्ष पुरानी)	प्रति पौध	10.00	88000.000
9	अन्य व्यय निरीक्षण बटिया हथियार आदि	प्रति है0	1350.00	10800.000
	योग प्रथम वर्ष –			789004.00
	शुद्ध व्यय प्रथम वर्ष –			789004.000

2– द्वितीय वर्ष रोपण कार्य

1	झाड़ी कटान (लैन्टीना / गाजर घास / काला बासा)	है0	1682.00	13456.000
2	गढ्ढा भरान कार्य	प्रति सं0	2.00	17600.000
3	पौध ढुलान कार्य	प्रति सं0	13.00	114400.000
4	पौध रोपण कार्य	प्रति सं0	4.00	35200.000
5	घास का ढुलान	ल0स0 प्रति है0	200.00	1600.000
6	कन्टूर खाईयों में घास रोपण तथा बीज बोना	ल0स0 प्रति है0	300.00	2400.000
7	पौधों की प्रथम निराई–गुढ़ाई मल्चिंग	प्रति सैकड़ा	275.00	24200.000
8	पौधों की द्वितीय निराई–गुढ़ाई मल्चिंग	प्रति सैकड़ा	240.00	21120.000
9	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	प्रति पौध	3.00	26400.000
10	घेरबाड़ के किनारे रोपण हेतु कटिंग लगाना	प्रति है0	643.00	5144.000
11	वनीरकण सुरक्षा– 7 माह (मृत पौध बदलना, बीज बुआन, घास रोपण व निराई–गुढ़ाई)	प्रति है0	1000.00	56000.000
12	अन्य व्यय बोर्ड क्रय कर लगाना, कण्डी, रस्सी आदि	प्रति है0	1500.00	12000.000
	योग द्वितीय वर्ष –			329520.000
	शुद्ध व्यय द्वितीय वर्ष –			329520.000
3 -	तृतीय वर्ष अनुरक्षण (12 माह)	प्रति है0	1000.00	96000.000
4 -	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण (12 माह)	प्रति है0	1000.00	96000.000
5 -	पंचम वर्ष अनुरक्षण (12 माह)	प्रति है0	1000.00	96000.000
6 -	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण (12 माह)	प्रति है0	1000.00	96000.000
7 -	सप्तम वर्ष अनुरक्षण (12 माह)	प्रति है0	1000.00	96000.000
8 -	अष्टम वर्ष अनुरक्षण (12 माह)	प्रति है0	1000.00	96000.000
9 -	नवम वर्ष अनुरक्षण (12 माह)	प्रति है0	1000.00	96000.000
10 -	दशम वर्ष अनुरक्षण (12 माह)	प्रति है0	1000.00	96000.000
	योग अनुरक्षण 08 वर्ष –			768000.000
	कुल व्यय योग –			1886524.000

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि